

राजस्थान सरकार

निवेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

-दैवतक ऊर्जावाही विवरण:-

लैब टेक्नीशियन सीधी गती 2023 बाबत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञापि दिनांक 31.05.2023 के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन पत्रों के वस्तावेज सत्यापन उपरान्त भर्ती एजेंसी द्वारा हैयार की गई अंतिम वरीयता सूची 04.10.2023 का प्रकाशन किया जाकर ऑनलाइन परिवेदनाएं आमंत्रित की गईं। जिसके क्रम में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर ने पत्र/ग्रामांक 3852-55 दिनांक 16.05.2024 के द्वारा लैब टेक्नीशियन की कुल 251 परिवेदनाओं (सुलोकेट परिवेदनाओं को गणना में सम्मिलित करते हुये) निवेशालय को निस्तारण हेतु संयुक्त शासन संघित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (मुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में गठित परिवेदन निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 17.05.2024 को दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिख), जयपुर में आयोजित की गई जिरामों निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया :—

- 1 निवेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य जयपुर
- 2 निवेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
- 3 रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामोडिकल कॉर्पिल, जयपुर
- 4 संयुक्त निवेशक (अराजपत्रित), मुख्यालय
- 5 संयुक्त निवेशक (प्रिशिकण), मुख्यालय
- 6 रजिस्ट्रार, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
- 7 उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन संघितालय
- 8 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय

सदस्य संघित
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

बैठक में प्राप्त ऑनलाइन परिवेदनाओं पर चर्चा कर एवं सम्बन्धित दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त उपरान्त रागिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

| क्र.सं. | आव्यार्थी का नाम | आईडी | परिवेदन का विवरण | वरतुथितिप्रकरणी | परिवेदना समिति का निर्णय |
|---------|------------------|-----------|---|--|--------------------------|
| 1: | RAHUL GARG | LTN116394 | आन्धर्यी ने तकनीकी शिक्षा बोर्ड राजस्थान जयपुर से छिप्लोगम उत्तीर्ण किया है जो कि गाव्यग्रिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिनांक 14.3.2016 को पारित आदेश जिसके आदेश कमांक एप्रील/2016/8070 है, के द्वारा वारदी विज्ञान के सामग्री है लैब टेक्नीशियन छिप्लोगम उत्तीर्ण कर पंजीयन राजस्थान पैरा मेडिकल कॉन्सिल में करवाया हुआ है। भेरे आवेदन पत्र को शामिल करके भुजे नियुक्ति प्रदान करावे। | आन्धर्यी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय झारखण्ड स्टेट औपन स्कूल से इन्टरग्रीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की अत्यधिक सामग्री द्वारा आवेदन के समय आपूर्त की है, जो गाव्यग्रिक शिक्षा परिषद, अजगेर के अनुसार राज्य में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के सामग्री नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया है। | परिवेदना खारिज |
| 2 | NARENDRA SINGH | LTN120028 | ओवरीसी एनलीएल वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत। | आन्धर्यी द्वारा रीसीनियर सैकण्डरी परीक्षा आधिकारीय मुक्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की है जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार गाव्यग्रिक शिक्षा बोर्ड, अजगेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण आन्धर्यी इस भर्ती हेतु पात्र अव्याधी नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 3 | BHVUVNESH VERMA | LTN115721 | दस्तावेज सत्यापन में 59.204 अंकों के साथ शामिल रिक्त गया था। किन्तु अंतिम धरीयता रूपी में नाम नहीं आया जबकि अंतिम वरीयता सूची की कट ऑफ लोवरी राज्याच्युत वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी अंतिम वरीयता सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत। | आन्धर्यी द्वारा रीसीनियर सैकण्डरी परीक्षा झारखण्ड स्टेट औपन स्कूल से उत्तीर्ण की है जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार गाव्यग्रिक शिक्षा बोर्ड, अजगेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण आन्धर्यी इस भर्ती हेतु पात्र अव्याधी नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 4 | PRIYA RANI | LTN118340 | झंडलभुएगा वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत। | आन्धर्यी द्वारा रीसीनियर सैकण्डरी परीक्षा झारखण्ड स्टेट औपन स्कूल से उत्तीर्ण की है जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार गाव्यग्रिक शिक्षा बोर्ड, अजगेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण आन्धर्यी इस भर्ती हेतु पात्र अव्याधी नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 5 | JINESH BHAVSAR | LTN114315 | टीएसपी जनरल वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु परिवेदन। | आन्धर्यी द्वारा शीर्षियर सैकण्डरी परीक्षा झारखण्ड स्टेट औपन स्कूल से उत्तीर्ण की है जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार गाव्यग्रिक शिक्षा बोर्ड, अजगेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण आन्धर्यी इस भर्ती हेतु पात्र अव्याधी नहीं है। | परिवेदना खारिज |

| | | | | | |
|----|------------------|-----------|--|---|--|
| 6 | RAJPAL | LTN120069 | सामान्य वर्ग में गाननीय न्यायलय को सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 2182/2022 की पालना में एवं कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिग्रेशन करवाने वालत। | अम्भरी हासा रीनियर सैकण्डरी प्रौदी फिरियां स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन से उत्तीर्ण की है जो विज्ञप्ति की शतानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान हासा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अम्भरी इस भर्ती हेतु पात्र अम्भरी नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 7 | JATIN SAAD | LTN117704 | अम्भरी के टीएसपी बोर्ड के सामान्य वर्ग में कुल प्रतिशत अंक 39.096 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 37.014 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिवेदन। | अम्भरी हासा रीनियर सैकण्डरी प्रौदी फिरियां बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन उत्तीर्ण से उत्तीर्ण की है जो विज्ञप्ति की शतानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान हासा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अम्भरी इस भर्ती हेतु पात्र अम्भरी नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 8 | GEEGA RAM SAINI | LTN117503 | अम्भरी हासा कोई परिवेदन संलग्न नहीं की है, दस्तावेज रालग्न है। | अम्भरी हासा प्रस्तुत दस्तावेजों में अनुबंध प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 18.10.2022 से 30.5.2023 तक का है, जो कोविड अवधि के बाहर व एक वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। अम्भरी के प्रतिशत प्राप्तांक 39.835 है जबकि अंतिम चयन सूची में ओवीरी वर्ग में अंतिम चयनित अम्भरी के प्रतिशत प्राप्तांक 53.841 है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 9 | NEERAJ KUMARI | LTN118280 | रविकान्त शर्मा आईटी LTN112098 की तरह लैब सहायक पद के अनुभव का लाभ देते हुये हुए प्रार्थी को लैब सहायक पद के अनुभव का लाभ देने हेतु परिवेदन। | अम्भरी 13.9.2021 से 30.9.2022 तक कोविड अवधि में लैब टैक्नीशियन का कार्य संपादित किया अतः नियमानुसार 15 बोनस अंकों का लाभ दिया गया है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 10 | GAURAV SHARMA | LTN117248 | देर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ नहीं लगा सकने के कारण रालग्न अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक देने वालत। | अम्भरी हासा परिवेदन के साथ दिनांक 30.6.2023 को अधीक्षक सावाइ भानसिंह अस्पताल हासा 141 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अम्भरी को नुटि सुधार का अदार प्रदान किया गया था जिसका लाभ बह नहीं उठा सका। अतः अब अनुभव का लाभ दिया जाना चाहिए नहीं होगा। | परिवेदना खारिज |
| 11 | KAPILDEV GAUTTAM | LTN114234 | दस्तावेज सत्यापन की सूची में 20 प्रतिशत बोनस अंक थे जिसे 5 प्रतिशत कम कर दिया गया बोनस अंकों की पुनः गणना कर 730 दिवसों का लाभ देकर रिजल्ट में राशोधन करने वालत। | अम्भरी को 17.09.2022 से 15.11.2022 की अनुभव अवधि के द्वारा 256 दिवस वार्षिक कार्य दिवस बताते हुये 73025 रुपये में से 47150 रुपये का मुगातान किया गया है की इट्पणी अकित की है। शेष मुगातान की कार्यवाही नियमानुसार योग्यातीन है। इस प्रकार अम्भरी को यदि शेष अवधि का मुगातान कर दिया जाता है तो मुगातान के अनुसार अनुभव अवधि का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। | नीति निर्धारण समिति के अधिवास द्वारा हेतु एटाईलमेन्ट बगता है तो माल दिया जाये। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी से पत्र व्यवहार कर अदान रूपना प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जाये। |
| 12 | PRAVEEN REGAR | LTN114971 | अम्भरी ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके कुल प्राप्तांक 68.349 प्रतिशत दर्शाये गये थे तथा जारी अंतिम वरियता सूची में 68.349 प्रतिशत दर्शाये गये ह जो कि चुटिपूर्ण है। अतः अंतिम वरियता सूची में अंकित प्राप्तांकों का संशोधित किये जाने वालत नियंत्रण किया है। | अम्भरी के अधीक्षक गडिला विक्रित्सालय अजमेर हासा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अनुबंध की मासिक/वैनिक/जाव वेसिस पर मुगातान दर दिनांक 01.07.2021 से अंकित की गई थी जिसके आधार पर अम्भरी को पूर्व में 15 बोनस अंक प्रदान किये गये थे। अनुभव जारीकर्ताओं हासा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का पुरुषत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है पुरुषत्यापन चपरान्त जाव रिपोर्ट के आधार पर बोनस अंक दिये जाने प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |

| | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|---|
| 18 | ANU KUSHWAH | LTN113334 | सामान्य कैटेगिरी की जगह शुल्कसूचा से आवेदन पत्र स्वीकार कर अंतिम सूची में नाम समिलित करवाने बाबत। | प्रार्थी द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया एवं शुल्क भी सामान्य श्रेणी का ही भुगतान किया है एवं त्रुटि सुधार का अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रार्थी द्वारा अपेक्षित सुधार नहीं किया गया व दस्तावेज सत्यापन भी सामान्य श्रेणी में ही कराया गया। अतः आवेदित श्रेणी में अब परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 19 | KANAK MEWARA | LTN108388 | रोके गये भरिणाम को जारी करवाने बाबत। | अभ्यर्थी द्वारा ओवीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया था। किन्तु आवेदन के साथ दस्तावेज में दिनांक 2.4.2023 को जारी ओवीसी क्रिमीलेयर का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत कर रख्ये को ओवीसी नॉन क्रिमीलेयर का सदस्य होना चाहया है। ऑनलाइन परिवेदना में पूर्व में लिये गये अभ्यर्थी ने दिनांक 1.6.2023 को जारी नोटरी सत्यापित शपथ पत्र एवं दिनांक 5.10.2023 को जारी ओवीसी एनसीएल वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व में सहायक रेडियोग्राफर पद की परिवेदनार्थी के निरस्तारण में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2022 एवं कार्मिक विभाग से इस बाबत पत्रावली पर प्राप्त निर्देशानुसार छूके अभ्यर्थी आवेदन के समय ओवीसी नॉन क्रिमीलेयर वर्ग की पात्रता नहीं रखता था अतः त्रुटि शुधार के नाम पर कैटेगरी परिवर्तन नहीं किया जा सकता निर्णय लिया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा भी चागान प्रकरण रिट याचिका सं. 13614/2019 यायेश कुमार बनाम राजस्थान रोज्य में याचिकाकर्ता की कैटेगरी परिवर्तन की मौगंग को खारिज कर दिया है। | परिवेदना समिति की बैठक दिनांक 24.4.2024 में पूर्व में लिये गये निर्देशानुसार परिवेदना खारिज की जाती है। |
| 20 | AJJ KHAN | LTN120689 | एग्वीसी-एनसीएल संबंधी में प्रार्थी की कटऑफ 44.926 प्रतिशत है। जबकि विभाग द्वारा जारी गेस्ट 44.038 है। अतः कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने बाबत। | अभ्यर्थी द्वारा भरा गया आवेदन पत्र पैडिंग अवरथा होने के कारण निर्वाचित लोकेश में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परिवेदन नहीं किया जा सका। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को बाद में पैडेंसी कल्पीयर करने का अवसर प्रदान किया गया था जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी एनसीएल जातिवर्ग में आवेदन किया गया एवं दिनांक 26.09.2023 को दस्तावेज कराया गया। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी का जातिवर्ग ओवीसी एनसीएल करते हुये भर्ती प्रक्रिया में समिलित किया गया। अभ्यर्थी के कुल प्रतिशत प्राप्तांक 42.760 बनते हैं जो कि ओवीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंधित रहा। अभ्यर्थी ने रख्ये का जातिवर्ग एग्वीसी एनसीएल कराना चाहा है जो नहीं किया जा सकता है। | परिवेदना खारिज |
| 21 | NIRAJ KUMAR | LTN112975 | ओवीसी सीएल की जगह चांलग्न ओवीसी एनसीएल को स्वीकार कर फोर्म में सुधार करते हुये सूची में नाम दर्ज करने बाबत। | अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय 20.06.2023 का जारी ओवीसी क्रिमीलेयर वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन के भाग चांलग्न किया गया और दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20.06.2023 को जारी ओवीसी क्रिमीलेयर वर्ग का प्रमाण पत्र ही पूँः प्रस्तुत किया गया जो कि आवेदन से पूर्ण ही जारी हो चुका था इस बात को रिक्द करता है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय ओवीसी नॉनक्रिमीलेयर श्रेणी का सदस्य नहीं था और उसने जानवृज्ञकर सामान्य/ओवीसी सीएल श्रेणी की जारी ओवीसी एनसीएल श्रेणी का आवेदन किया एवं शुल्क राशि भी रख्ये की श्रेणी की नहीं जगा कराया। अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के क्रम से अभ्यर्थी की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार परिवेदना निरस्तारण समिति की बैठक दिनांक 24.4.2024 में लिये गये निर्देशानुसार परिवेदना खारिज की जाती है। | परिवेदना खारिज |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----------|--|---|----------------------|
| 31 | POOJA KUMARI SANKHERIYA | LTN101259 | अनुमति जाति गहिला वर्ग में रिका/द्वितीय सूची में आवेदन पत्र स्वीकार कर अंतिम सूची में नाम शामिल करवाने वाला। | अम्बरी के प्रतिशत प्राप्तांक 44.748 है जो अनुसूचित जाति गहिला वर्ग की कटाफ 46,097 से कम होने के कारण चयन से बंचित है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। | परिवेदना खारिज |
| 32 | NEHA | LTN114005 | परिवेदना संलग्न नहीं है। सूची संलग्न है। | अम्बरी ने झोनलाइन परिवेदना के साथ दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में जहाँ अम्बरी का नाम अंकित है उस पृष्ठ परिवेदना खारिज | परिवेदना खारिज |
| 33 | Ms. ROMANA ANSARI | LTN119413 | प्रार्थी ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में दिनांक 31.08.2023 को दस्तावेज सत्यापन करवाया था। इसके बावजूद ओडीसी महिला वर्ग में कटांक से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम रास्तिलित करवाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है। | अम्बरी के सीनियर सैकण्डरी में 500 में से 318 अंक हैं जो 63.6 प्रतिशत है तथा लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा में 1600 में से 1262 अंक हैं जो 78.875 प्रतिशत है। सीनियर सैकण्डरी एवं डिप्लोमा के प्रतिशत अंकों का औसत 71.238 प्रतिशत का 70 प्रतिशत वेटेज 49.866 प्रतिशत है। अम्बरी को अनुमत प्राप्त नहीं है। ओडीसी महिला वर्ग की अन्तिम चयनित अम्बरी के प्रतिशत प्राप्तांक 51.282 है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। | परिवेदना खारिज |
| 34 | DEVILAL TELI | LTN112392 | अम्बरी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज में रख्ये के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.878 का उल्लेख करते हुये रख्ये के ओसात प्राप्तांक प्रतिशत टीएसपी अनारकित से अधिक होते हुये अंतरिम वरियता सूची में समिलित नहीं किया गया है। अतः समिलित किये जाने का नियेदन किया है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्बरीयों की सूची उनके द्वारा झोनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार भी गई है। अम्बरी के सीनियर सैकण्डरी परिक्रमा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो वरियता सूची तैयार की जाती है। अम्बरी के सीनियर सैकण्डरी की परिक्रमा में 54.923 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परिक्रमा के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 59.517 है जिनको जोड़कर अम्बरी के ओसात प्राप्तांक प्रतिशत 57.22 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं ओसात प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अम्बरी के कुल प्राप्तांक 40.054 प्रतिशत बनते हैं जो कि टीएसपी अनारकित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अम्बरी के कुल प्राप्तांक 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से बंचित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक |
| 35 | SHIFA BANO | LTN118137 | कोर्ट द्वारा गरे गये ऑफलाइन फार्म को मान्यता प्रदान करने हेतु परिवेदन। | अम्बरी को पूरे से ही माननीय न्यायालय के नियम के अध्याधीन भर्ती प्रक्रिया में समिलित किया जा चुका है किन्तु अम्बरी के कुल प्राप्तांक 44.664 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारकित वर्ग में चयनित अंतिम अम्बरी के कुल प्राप्तांक 59.585 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम चयन सूची में रथान बनाने में असफल रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक |
| 36 | KARAN SINGH SAMBHRIYA | LTN118007 | प्रार्थी के अनुसूचित जाति में योग्यता प्रतिशत 67.98 है। सूची में नाम नहीं होने का कारण स्पष्ट करवाने हेतु परिवेदन। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्बरीयों की सूची में अम्बरी के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना अम्बरीयों द्वारा गरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। जिसमें अम्बरी को 30 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ 67.98 प्रतिशत अंक प्रदान किये गये थे किन्तु अम्बरी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरा मैडिकल कॉलेज में नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय में दायर याचिका नं. 15214/2023 माध्यव रिहं बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 की पालना में अनुमत अवधि का लाग प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अम्बरी के कुल प्राप्तांक 37.987 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अम्बरी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.179 से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से बंचित रहा। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। | कोई कार्यवाही आवश्यक |

| | | | | |
|----|----------------------------|-----------|---|---|
| 37 | KUWAR SINGH SAINI | LTN114133 | अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित सूची में ख्ययं के नाम की प्रति संलग्न की है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी कोई कार्यवाही आवश्यक जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार 71.864 प्रतिशत अंको के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु नहीं। |
| 38 | JASPREET SINGH | LTN115989 | कोट की पालना में आरपीएमसी पंजीयन को समिलित कर सूची में नाम जोड़ने के सम्बन्ध में। | अभ्यर्थी को पूर्व से ही माननीय च्यायालय के निणय के अध्याधीन गर्ती प्रक्रिया में समिलित किया जा चुका है कोई कार्यवाही आवश्यक किन्तु अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 41.527 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनरीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी नहीं। |
| 39 | RITIK SHRIMALI | LT111678 | अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में ख्ययं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.281 बताते हुये अनारक्षित टीएसपी की अंतिम कटआॉफ से अधिक होते हुये भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम बरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः ख्ययं का चयन किये जाने बाबत निवेदन किया है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अंतरिम बरियता सूची में कुल प्राप्तांकों की गणना दस्तावेज में अंकित प्राप्तांकों अनुसार की गई है। इस प्रकार वास्तविक प्राप्तांकों की गणना किये जाने उपरात्र अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.831 प्रतिशत बनते हैं जो कि टीएसपी अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से बंदित रहा। कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं। |
| 40 | DHARMENDRA PAL SINGH AHADA | LT101784 | अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में ख्ययं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.970 बताते हुये अनारक्षित टीएसपी की अंतिम कटआॉफ से अधिक होते हुये भी अभ्यर्थी का चयन अंतरिम बरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः ख्ययं का चयन किये जाने बाबत निवेदन किया है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अंतरिम बरियता सूची में कुल प्राप्तांकों की गणना दस्तावेज में अंकित प्राप्तांकों अनुसार की गई है। इस प्रकार वास्तविक प्राप्तांकों की गणना किये जाने उपरात्र अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.285 प्रतिशत बनते हैं जो कि टीएसपी अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.312 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी चयन से बंदित रहा। कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं। |
| 41 | PRIYANKA SOGRA | LTN107843 | प्रार्थी के अनुसूचित जाति में योग्यता प्रतिशत 87.98 है। जबकि अनुसूचित जाति की ही सूची में कपांक संख्या-1551 पर भूमीया, एससी-45.27, 1558 पर विनीता नामलिया, एससी-45.24 तथा 1559 पर करुणा घोठावल, एससी-45.20 प्रतिशत का चयन हुआ है। इन सभी की कटआॉफ प्रार्थी से कम है। अतः प्रार्थी को चयन अंतिम सूची में करने हेतु परिवेदना। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार ही जासका दस्तावेज सत्यापन उपरात्र सभी भूमीयों हेतु सभी अभ्यर्थीयों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की जाती है— अभ्यर्थी के सीनियर सीकंपरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत कों जोड़कर उनके शोसंत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत वेटेज देकर एवं इसमें कोई बोनस अंक है तो बरियता सूची तैयार की जाती है। अभ्यर्थी के सीनियर सीकंपरी परीक्षा की परीक्षा में 66.60 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 61.88 है जिनको जोड़कर अभ्यर्थी के शोसंत प्राप्तांक प्रतिशत 64.27 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थी के कुल प्रतिशत से कम होने के कारण अंतिम सूची में चयन से बंदित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |

| | | | |
|----|--------------------|-----------|---|
| 42 | MANISH KUMAR SAINI | LTN108404 | <p>अम्यर्थी के ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 53.713 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 53.641 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम चुड़वाने हेतु परिवेदन।</p> <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थीयों की सूची उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार धीरे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।</p> <p>जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अम्यर्थीयों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अम्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत घेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो जोड़कर वरियंता सूची तैयार की जाती है। अम्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 71.400 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का 74.920 प्रतिशत है जिनको जोड़कर अम्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 73.160 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत घेटेज के आधार पर अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.212 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.282 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियंता सूची में चयन से बंधित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> |
| 43 | ARSHI KHANAM | LTN114566 | <p>अम्यर्थी के ओबीसी-एनसीएल गहिला श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 51.44 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 51.282 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम चुड़वाने हेतु परिवेदन।</p> <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थीयों की सूची उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार धीरे परिवेदना खारिज</p> <p>जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अम्यर्थीयों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अम्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत घेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो जोड़कर वरियंता सूची तैयार की जाती है। अम्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 71.400 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का 74.920 प्रतिशत है जिनको जोड़कर अम्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 73.160 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत घेटेज के आधार पर अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.212 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.282 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियंता सूची में चयन से बंधित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> |
| 44 | RAHUL PADIRWAL | LTN115744 | <p>प्रार्थी ने अपना अनुमति प्रमाण पत्र क्रमांक 1926 दिनांक 24.06.2023 को संशोधित करताकर पुग करामांक 2621 दिनांक 07.09.2023 (कुल दिवस 307) प्रत्यक्षत बार अनुमति दिवसों में संशोधन कर 10 बोनस अंक दिया जाकर अंतिम सूची में शामिल करने हेतु परिवेदना दी है।</p> <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थीयों की सूची उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार धीरे परिवेदना खारिज</p> <p>जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भर्तियों हेतु सभी अम्यर्थीयों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है:- अम्यर्थी के सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत घेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो जोड़कर वरियंता सूची तैयार की जाती है। अम्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में जे.के.लॉन धिकित्सालाय कोटा द्वारा दिनांक 28.05.2022 तक 30.05.2023 तक, कुल 314 दिवस (पुगतान दिवसों के आधार) का अनुमति जारी किया गया है जिसके आधार पर अम्यर्थी को पूरे में दिये गये 10 प्रतिशत बोनस अंकों को शून्य कर दिया गया है। इस प्रकार अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 40.849 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.170 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंधित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।</p> |

| | | | | |
|----|------------------|-----------|--|---|
| 45 | SAKSHI NANDWANA | LTN116594 | <p>प्रार्थी ने अपना अनुमत प्रमाण पत्र कमांक 1927 दिनांक 24.06.2023 को संशोधित करवाकर पुनः कमांक 2622 दिनांक 07.09.2023 (कुल दिवस 369) प्रस्तुत कर अंनुमत दिवसों में संशोधन कर 10 बोनस अंक दिया जाकर अंतिम सूची में शामिल करने हेतु परिवेदना दी है।</p> | <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थीयों की सूची उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी परिवेदना खारिज</p> <p>जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भरियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है— अम्यर्थी के शीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांको का 70 प्रतिशत घेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो जोड़कर वरियता सूची तैयार की जाती है। अम्यर्थी के शीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 73.800 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांको का 72.320 प्रतिशत है जिनको जोड़कर अम्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 73.06 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत घेटेज के आधार पर अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.142 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.282 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से बहित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> |
| 46 | SONAM CHOUDHARY | LTN117768 | <p>अम्यर्थी के ओबीसी वरिया श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 51.307 है। एवं कटओफ प्रतिशत 51.282 है। अतः कटओफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम छुड़वाने हेतु परिवेदना।</p> | <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थीयों की सूची उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी परिवेदना खारिज</p> <p>जिसका दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सभी भरियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है— अम्यर्थी के शीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांको का 70 प्रतिशत घेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो जोड़कर वरियता सूची तैयार की जाती है। अम्यर्थी के शीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 73.800 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांको का 72.320 प्रतिशत है जिनको जोड़कर अम्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 73.06 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत घेटेज के आधार पर अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.142 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.282 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से बहित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> |
| 47 | JAISHREE SOLANKY | LTN106165 | <p>अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना रोलऑन नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है।</p> | <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थीयों की सूची उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी परिवेदना खारिज</p> <p>जिसका दस्तावेज रात्यापन उपरान्त सभी भरियों हेतु समान रूप से निम्नानुसार गणना की गई है— अम्यर्थी के शीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांको का 70 प्रतिशत घेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो जोड़कर वरियता सूची तैयार की जाती है। अम्यर्थी के शीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 62.200 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक परीक्षा के कुल प्राप्तांको का 66.320 प्रतिशत है जिनको जोड़कर अम्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 64.260 प्राप्तांक प्रतिशत बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत घेटेज के आधार पर अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.982 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.179 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में चयन से बहित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।</p> |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|---|--|
| 48 | HITESH VYAS | LTN117581 | मैंने दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम नहीं है। मैंने दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना भी लगाई थी। मैं 13 वर्षीय से सरकारी सेवों में कार्यरत हूं जिसका मैंने अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाया था। मेरी समस्या का समाधान किया जाए। | अन्यथा द्वारा ऑनलाइन आवेदन में कोई अनुभव को उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अधार में अन्यथा को कुल प्राप्तांक 43.107 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में घटनित अंतिम नहीं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 49 | JAMANA SHANKER LOUHAR | LTN108124 | अन्यथा द्वारा फार्म गरते समय अनुभव प्रमाण पत्र जोड़ नहीं पाया। अनुभव प्रमाण पत्र को शामिल करते हुये दस्तावेज सत्यापन की सूची में नाम जुड़वाने वालत। | आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए सूचना ऑनलाइन आवेदन में अंकित करनी चाहिए थी। अब अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दस्तावेज सत्यापन किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना खारिज |
| 50 | Rajni | LTN101261 | अन्यथा द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अन्यथा के प्रतिशत प्राप्तांक 42.725 हैं। जो अनुसूचित जाति महिला वर्ग में दस्तावेज सत्यापन की कटाओंके प्रतिशत 44.256 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना खारिज |
| 51 | SHINU MATHEW | LTN116646 | अन्यथा ने परिवेदना प्रस्तुत कर आवगत कराया है कि अन्यथा दिनांक 21.08.2020 से 30.05.2023 तक लैब टेक्नीशियन के घर पर नवीन थिकेट्सालय गेडिकल परिसर कोटा में कार्य किया है किन्तु अधिकारी गहोदय द्वारा आरपीएमसी के दिनांक 10.06.2022 से 30.05.2023 तक 276 दिक्षण का ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जबकि 21.08.2020 से 09.06.2022 तक 589 कुल 865 दिवस होते हैं। अतः अन्यथा ने स्वयं को बालस अंक 20 प्रदान किये जोन का नियेदन किया गया है। | गाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में परित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में गाननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के कम से चौंके अन्यथा का आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 10.06.2022 को हुआ है जिसके कारण दिनांक 10.06.2022 से पूर्व का अनुभव का लाभ देय नहीं है। जिसके अनावश्यक विवर को वृत्ति अन्यथा के कुल प्राप्तांक 47.538 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनावश्यक भिला वर्ग में चयनित अंतिम अन्यथा के कुल प्राप्तांक 53.842 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 52 | MS.JAMANA SAINI | LTN119561 | अन्यथा द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अन्यथा द्वारा परिवेदना के साथ स्वयं की व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिकाये संलग्न की है। अन्यथा द्वारा गरे गये डाटा के अनुसार कुल प्राप्तांक 42.161 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओवीसी एनसीएल गहिला वर्ग में घटनित अंतिम अन्यथा के कुल प्राप्तांक 49.284 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। परिवेदना खारिज |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------|---|--|
| 56 | RAKESH KUMAR SHARMA | LTN119454 | आम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 अम्यर्थी का पंजीयन दिनांक 27.6.2023 को होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अम्यर्थी की आयु विज्ञापि में वर्णित उमरी आयुसीमा से अधिक होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। परिवेदना खारिज |
| 57 | SHIVRAJ JAT | LTN119403 | अम्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के दस्तावेज सत्यापन में 60.443 प्रतिशत का छल्लेख करते हुये आबीरी एनसीएल जातिवर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने के बावजूद भी अंतिम वरियता सूची में समिलित नहीं किया गया है, को समिलित किये जान वाले निवेदन किया है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थियों की सूची में अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना अम्यर्थियों रेजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में प्रथम पंजीकरण दिनांक 24.08.2022 होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.वी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के अनुरूप अम्यर्थी की रेजिस्ट्रेशन दिनांक से पूर्व की अनुमत अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अनाव में अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.443 प्रतिशत बनते हैं जो कि आबीरी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.641 से कम होने के कारण अंतिम चयन सूची में समिलित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। परिवेदना खारिज |
| 58 | BHAVANA LOHAR | LTN116979 | अम्यर्थ्या द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 84.407 प्रतिशत बताते हुये अन्तिम वरियता सूची में नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः अम्यर्थियों द्वारा अनुमत का लाभ प्रदान कर अन्तिम वरियता सूची में समिलित करने वाले निवेदन किया है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थी द्वारा गरे गये डाटा के आधार पर अम्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अधीक्षक महाराजा भूपाल थिकित्सालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 15.11.2018 से 18.10.2021 तक कुल 976 दिवसों का अनुमत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है फिन्चु अम्यर्थी का आबीरी एनसीएल में रेजिस्ट्रेशन दिनांक 27.06.2023 को हुआ है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व की अनुमत का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में अम्यर्थिया की पंजीकरण से पूर्व की अनुमत अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अनाव में अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.463 बनते हैं जो विआबीरी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.641 से कम होने के कारण चयन की श्रेणी में नहीं आती है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। परिवेदना खारिज |
| 59 | KULDEEP SHARMA | LTN115160 | गो एकेडिपिंक, और प्रोफेशनल कॉर्स का एवरेज 66.38 है और 70 प्रतिशत 46.466 हैं उच्चतम कोटिपिंक काल में किये गये कार्य के अनुभव बोनस अंक को समिलित करने पर 61.466 प्रतिशत होते हैं। जनरल की कट ऑफ 59.585 है। अतः जारी सूची को रोशनीयित कर कर नाम चुड़वाने हेतु परिवेदन। | अम्यर्थी का आबीरी एनसीएल में पंजीयन दिनांक 2023 में हुआ है अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.वी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में पंजीकरण से पूर्व की अनुमत का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 46.469 प्रतिशत बनते हैं जो सामान्य श्रेणी में अंतिम चयनित अम्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। परिवेदना खारिज |
| 60 | IMARAN KHAN PATHAN | LTN117978 | मैं विज्ञप्ति में जारी योग्यताको सूर्य करता हूँ एवं साजस्थान चिकित्सा एवं स्थास्थ्य रोका नियम 1965 के तहत योग्य हूँ। अतः बोनस अंक देकर नियुक्ति प्रदान करने की माँग की है। | अम्यर्थी का आबीरी एनसीएल में पंजीयन 27.06.2023 को हुआ है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.वी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व की अनुमत का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में पंजीकरण से पूर्व की अनुमत अवधि होने पर इस अवधि का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.393 प्रतिशत बनते हैं जो ईडल्स्यूस श्रेणी में अंतिम चयनित अम्यर्थी के प्राप्तांक से कम रहने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। परिवेदना खारिज |

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|--|---|----------------------------|
| 61 | RAGHUNATH SINGH RAJPUROHIT | LTN118244 | अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की गई है, दस्तावेज संलग्न है। | अम्यर्थी द्वारा दो पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें एक प्रमाण पत्र 16.09.2015 को जारी है एवं दूसरा 27.08.2023 को जारी है। अतः इनके मध्य की पंजीयन संबंधी स्थिति संपष्ट नहीं है। यदि अम्यर्थी द्वारा एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली गई हो तो 27.06.2023 से पूर्व के अनुमत का लाभ देय नहीं होगा। घरमान में अम्यर्थी द्वारा संलग्न अनुमत प्रमाण पत्र लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/हेम रिंग चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है। अतः राजस्थान पैरा मेडिकल कॉर्सिल से पंजीयन के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना प्रस्तावित है जाकि अनुमत अवधि का निवरण किया जा सके। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 62 | ASHOK KUMAR YADAV | LTN117960 | अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अन्यथियों की सूची में स्वर्ण के कुल प्राप्तांक 74.225 प्रतिशत होने के बावजूद अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि उन्होंने कम अंक वाले अन्यथियों को चयन किया जा चुका है। अतः नाम सम्मिलित किये जाने वाले निवेदन किया है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अम्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में आधीक्षक साराई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर द्वारा लैब टैक्नीशियन के पद पर दिनांक 01.08.2019 से 29.12.2022 तक 1274 दिवस का जारी अनुमत प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 16214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में अम्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 28.06.2023 से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अनाव में अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.212 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओवीसी एन्सीएल वर्ग में घयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.841 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। | परिवेदना खारिज |
| 63 | SURESH KUMAR | LTN117280 | अम्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत स्वर्ण के बोनस अंक 30 सहित कुल प्राप्तांक 79.345 प्रतिशत बताते हुये ओवीसी एन्सीएल वर्ग की कटडांक 53.6 प्रतिशत से अधिक होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले निवेदन किया है। | अम्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पाली द्वारा लैब टैक्नीशियन पद का दिनांक 18.01.2018 से 30.05.2023 तक कुल 1982 दिवस का जारी अनुमत प्रमाण पत्र संलग्न किया है किन्तु अम्यर्थी का राजस्थान पैरा मेडिकल कॉर्सिल में आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 27.06.2023 से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक बोनस अंकों के अनाव में 49.345 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओवीसी एन्सीएल वर्ग में घयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। | परिवेदना खारिज |
| 64 | JEETENDRA SHARMA | LTN116860 | अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अम्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ जोलाएन मेडिकल कॉलेज द्वारा लैब टैक्नीशियन के पद पर दिनांक 01.02.2015 से 31.03.2017 एवं दिनांक 06.04.2017 से 30.04.2019 तक 674 दिवस कुल 1328 दिवस का अनुमत जारी किया गया जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में चूंकि अम्यर्थी का आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 27.06.2023 से पूर्व का होने के कारण बोनस अंक प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 55.654 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------|--|---|
| 65 | KISHAN SINGH GURJAR | LTN117419 | अम्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दरस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक 73 प्रतिशत बताकर एग्जीवीरी वार्ड की कटडाउफ से अधिक होने के बावजूद भी अंतरिम वरियता सूची में समिलित नहीं किये जाने पर बोनस अंको को जोड़कर अंतरिम वरियता सूची में समिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है। | दरस्तावेज सत्यापन हेतु कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थी द्वारा भरे गये चादा के आधार पर की गई थी कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। जिसमें अम्यर्थी को 73.178 प्रतिशत प्रदान किये गये थे किन्तु अम्यर्थी दरस्तावेज सत्यापन में मेडिकल कोलेज में समिलित नहीं किया गया है। सिंह बनाम सरकार में पारित निषेध दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में दौड़कि अम्यर्थी की अनुग्रह अवधि आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन दिनांक 28.06.2023 से पूर्व की होने के कारण बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया गया जिसके अमाव में अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.178 प्रतिशत बनते हैं जो कि एमबीसी वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 44.038 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 66 | Arvind Kumar | LTN118120 | अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि संविदा लैब टेक्नीशियन के पद पर आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था एवं रखयं के पास सरकारी संस्थान का अनुग्रह प्राप्त होने पर बोनस अंको का लाभ प्रदान कर नियुक्ति प्रदान किये जाने बाबत निवेदन किया है। | अम्यर्थी द्वारा दरस्तावेज सत्यापन में गुम्बद विकितसा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा द्वारा दिनांक 30.04.2023 से 2362 दिवस का अनुग्रह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अम्यर्थी की अनुग्रह अवधि कार्यवाही आवश्यक आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.06.2023 से पूर्व की होने के कारण बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया गया। जिसके अमाव में अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 39.843 प्रतिशत बनते हैं जो कि एमबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निषेध दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 39.843 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा है। |
| 67 | JAGDISH PRAJAPAT | LTN118245 | अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दरस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के ओसाठ प्राप्तांक 70.943 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख करते हुये एमबीसी वर्ग की कटडाउफ प्रतिशत 53.641 होने पर भी अंतरिम वरियता सूची में समिलित नहीं किया गया है। जबकि अम्यर्थी से कम अंक साले अम्यर्थीयों को अंतरिम वरियता सूची में समिलित कर लिया गया है। अतः अम्यर्थी ने रखयं को अंतिम वरियता सूची में समिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है। | दरस्तावेज सत्यापन हेतु कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थी द्वारा भरे गये चादा के आधार पर की गई थी कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। जिसमें अम्यर्थी को 70.943 प्रतिशत प्रदान किये गये थे। अम्यर्थी दरस्तावेज सत्यापन में एमबीसी सिक्कित्त्वालय, जोधपुर द्वारा लैब टेक्नीशियन पद का दिनांक 01.03.2020 से 30.05.2023 तक 1006 दिवस का अनुग्रह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस दिवस का अनुग्रह अवधि अम्यर्थी के आरपीएमसी में पंजीकरण दिनांक 28.06.2022 से पूर्व की होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निषेध दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में उक्त बोनस अंकिति का लाभ देय नहीं है। शेष अवधि 01 वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंको का लाभ प्रदान नहीं किया गया है इस प्रकार बोनस अंको में अमाव से अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 53.641 प्रतिशत बनते हैं जो कि एमबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 70.943 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |

| | | | | | |
|----|----------------------|-----------|---|---|----------------------------|
| 71 | DEEPESH MUDGAL | LTN117550 | <p>अम्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थियों में स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.463 बताते हुये अनारक्षित वर्ग की अंतिम कटऑफ से अधिक होते हुये भी अम्यर्थी का चयन अंतिम वरियता सूची में नहीं किया गया है। अतः स्वयं का चयन किये जाने 2018 से 30.05.2023 तक कुल 1936 दिवस का अनुमत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अम्यर्थी की अनुमत शब्द निवेदन किया है।</p> | <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थियों की सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थी द्वारा भरे गये तांत्रिक लैपटोप के आधार पर की गई थी। अम्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में ऐडिकल कॉर्टेज बूंगरपुर द्वारा दिनांक 10.01.2019 अवधि आरपीएससी में रजिस्ट्रेशन, दिनांक 27.06.2023 से पूर्ण का होने के कारण माननीय न्यायालय में दायर याचिक संख्या 15214/2023 गांधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 के अनुरूपे अनुमत अवधि का लाग प्रदान नहीं किया गया जिसके अभाव में अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.315 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओवीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 59.585 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 72 | YUGAL KISHOR BAKOLIA | LTN120365 | <p>प्रार्थी द्वारा लगाये गये अनुमत प्रमाण पत्र की जांच कर अंतिम वरियता सूची में शामिल करने वालत।</p> | <p>अम्यर्थी द्वारा द्वारा जो अनुमत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जो आवेदन पत्र में भी उल्लिख हैं। इनमें एक अनुमत प्रमाण पत्र 246 दिवस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजगेर द्वारा जारी किया गया है जिसमें अम्यर्थी द्वारा सायादित कार्य लैब टेक्नीशियन के समान बताया है एवं दूसरा प्रमाण पत्र वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम द्वारा जारी किया गया है जिसमें अम्यर्थी का कार्य लैब टेक्नीशियन के समान नहीं बताया है। रिट याचिक संख्या 14080 / 2023 शजेन्द्र बेनीवाल बनाम राज य सरकार मे माननीय न्यायालय ने नियम 19 की कठोरता से पालन करने के निर्देश पारित किये हैं अतः वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम द्वारा जारी अनुमत प्रमाण पत्र नियम 19 के अनुसार लैब टेक्नीशियन कार्य का नहीं होने व सकाम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया होने से मात्र नहीं है, फलस्वरूप अम्यर्थी का अनुमत यात्रा 254 दिवस का रह जाता है जो कोविड अवधि के बाद का होने से अनुमत का लाग देय नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> | परिवेदना खारिज |
| 73 | VISHANU KUMAR GUPTA | LTN118454 | <p>दस्तावेजों की पुनः जांच कर सूची में नाम सम्मिलित करने वालत।</p> | <p>अम्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनुमत प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्राप्त भीम द्वारा जो नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। डी.बी.स्पेशल आपील संख्या 351/20 संतोष छोधरी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने निर्धारित प्रपत्र में अनुमत प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आपील खारिज कर दी है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> | परिवेदना खारिज |
| 74 | NAMRATA DAVE | LTB117427 | <p>अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थियों की सूची में स्वयं के कुल प्राप्तांक 75.089 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद टीएसपी अनारक्षित महिला वर्ग की अंतिम कटऑफ प्रतिशत 43.937 से अधिक होने के बावजूद भी अंतिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः सम्मिलित किये जाने वालत निवेदन किया है।</p> | <p>लैब टेक्नीशियन गती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्यर्थियों द्वारा भरे गये टांटो के अनुसार की गई थी। किंतु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अम्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अम्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुमत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा डी.बी.याचिक संख्या 351/2020 संतोष छोधरी बनाम सरकार को इसी ही आधार पर खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अम्यर्थी के कुल प्राप्तांकों की गणना बोनस अंकों के तावाव में किये जाने के उपरान्त 39.419 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.937 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> | परिवेदना खारिज |
| 75 | RAJENDER SINGH | LTN115851 | <p>अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इनुमानगढ़ द्वारा जारी अनुमत प्रमाण पत्र संलग्न किया है।</p> | <p>अम्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ संलग्न अनुमत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 43.825 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अम्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.179 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |

| | | | | |
|----|------------------------|-----------|--|---|
| 76 | NAVANET KUMAR PADHAYAY | LTN120382 | अम्बर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के ओसत प्राप्तांक 74 प्रतिशत से अधिक होने का उल्लेख करते हुये सामान्य वर्ग की कटऑफ प्रतिशत 59 होने पर भी अंतरिम चरियता सूची में समिलित नहीं किया गया है। अतः स्वयं को बोनस अंक प्रदान करते हुये अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्बर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। जिसमें अम्बर्थी को 74.836 प्रतिशत प्रदान किये गये थे किन्तु अम्बर्थी दस्तावेज सत्यापन में मैडिकल कॉलेज को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार बोनस अंकों के लाभ प्रदान में अम्बर्थी के कारण अम्बर्थी को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार बोनस अंकों के लाभ प्रदान में अम्बर्थी के कारण बोनस की सौगं को माननीय न्यायालय द्वारा डी.बी.याचिका संख्या 351 / 2020 संतोष चौधरी को खारिज कर दिया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 77 | LALIT KUMAR | LTN104726 | अम्बर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित सूची में स्वयं के नाम की प्रति संलग्न की है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्बर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। जिसमें अम्बर्थी को 56.546 प्रतिशत प्रदान किये गये थे। अम्बर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुग्रह प्रमाण में अन्तरिम आमंत्रित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार बोनस अंकों में अम्बर्थी के कुल प्राप्तांक 41.548 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी वर्ग में चयनित अंतिम अम्बर्थी के कुल प्राप्तांक 41.548 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी वर्ग में चयनित अंतिम अम्बर्थी के कुल प्राप्तांक 63.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 78 | HARSH SHARMA | LTN117887 | अम्बर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 54.84 का उल्लेख करते हुये ओबीसी एनसीएल की कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने पर भी अंतरिम चरियता सूची में समिलित नहीं किया गया है के संबंध में दस्तावेजों की पुनः जाँच कर चयन किये जाने बाबत निवेदन किया है। | दस्तावेज सत्यापन में अम्बर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर अम्बर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान एवं ऑनलाइन आवेदन में अम्बर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुग्रह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण अम्बर्थी को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा डी.बी.याचिका सं. 351 / 2020 संतोष चौधरी वनाम सरकार को इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंकों के लाभ में अम्बर्थी के कुल प्राप्तांक 39.840 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अम्बर्थी के कुल प्राप्तांक 53.641 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 79 | BRU KISHOR KUSHWAH | LTN118187 | अम्बर्थी द्वारा परिवेदना के साथ अनुग्रह प्रमाण पत्र संलग्न अनुशय प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ प्रदान किये जाने बाबत निवेदन किया है। | अम्बर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान एवं परिवेदना के साथ प्रस्तुत अनुग्रह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण अम्बर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 351 / 2020 संतोष चौधरी वनाम सरकार को इसी आधार पर राज्य पक्ष में खारिज किया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 80 | SURAJ MAL SUMAN | LTN116602 | अम्बर्थी के ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 61.88 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 53 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिवेदना। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अम्बर्थियों की सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्बर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी। अम्बर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुग्रह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अम्बर्थी के बोनस अंकों के अपाव में कुल प्राप्तांक 41.888 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अम्बर्थी के कुल प्राप्तांक 41.888 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से बंचित रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा डी.बी.याचिका सं.351 / 2020 संतोष चौधरी वनाम सरकार को इसी आधार पर राज्य पक्ष में खारिज किया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |

| | | | | | |
|----|------------------------|-----------|---|---|----------------------------|
| 81 | VIJESH KUMAR SAINI | LTN120955 | अन्यथीं द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल चरित्र विकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेशबर द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। | अन्यथीं द्वारा चरित्र विकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेशबर द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र कोई कार्यवाही आवश्यक प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर अन्यथीं को विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका कठिन धूमर बनाम राज्य सरकार में निर्णय पारित कर उचित साक्षम अधिकारी है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका कठिन धूमर बनाम राज्य सरकार में निर्णय पारित कर उचित साक्षम अधिकारी है। इस प्रकार अन्यथीं के बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 44,906 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जालिका में चयनित अंतिम अन्यथीं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53,841 से कम होने के कारण उपर दर्शन से बंचित रहा है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 82 | ARJUN DEV JAKHAR | LTN115385 | प्रार्थी ने AIIMS JODHPUR के अन्तर्गत चल रहे Soverllience Project का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था जिसे मान्य नहीं किया है। जबकि विनाय द्वारा पूर्व में लैब टेक्नीशियन भर्ती-2020 में इसी अनुभव को मान्य करते हुए आवेदन क्रमांक 202011500135 नाम जैवा को नियुक्ति प्रदान की है। अतः प्रार्थी चाहता है कि उसके अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए अंतिम वरियता सूची में शामिल करें। साथ ही प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 14046/2023 को संलग्न किया है। | अन्यथीं द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार के अधीन संरक्षण का नहीं होने से नियमानुसार मान्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम सरकार में याचिकाकर्ता की याचिका को द्वारा आधार पर खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार का अपने किन्हीं कर्मचारियों को अनुभव का लाभ देते हुए बोनस अंक प्रदान किये जाने का निर्णय विधि सम्मत है। इसी प्रकार डी.बी. याचिका संख्या 8433/2023 मख्खन लाल बडाला बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि -“यह पूरी तरह राज्य सरकार के उपर निर्भर करता है कि वह बोनस अंकों का प्रावधान कर सकती है एवं अपने चाहे तरीके से ऐसा कर सकती है”। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 83 | PRASHANT DEORA | LTN116566 | प्रार्थी ने AIIMS JODHPUR का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था जिसे मान्य नहीं किया है। जबकि पूर्व में लैब टेक्नीशियन भर्ती-2020 में इसी अनुभव को मान्य करते हुए आवेदन क्रमांक 202011500135 को नियुक्ति प्रदान की है। अतः प्रार्थी चाहता है कि उसके अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए अंतिम वरियता सूची में शामिल करें। | अन्यथीं द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार के अधीन संरक्षण का नहीं होने से नियमानुसार मान्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम सरकार में याचिकाकर्ता की याचिका को द्वारा आधार पर खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार का अपने किन्हीं कर्मचारियों को अनुभव का लाभ देते हुए बोनस अंक प्रदान किये जाने का निर्णय विधि सम्मत है। इसी प्रकार डी.बी. याचिका संख्या 8433/2023 मख्खन लाल बडाला बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि -“यह पूरी तरह राज्य सरकार के उपर निर्भर करता है कि वह बोनस अंकों का प्रावधान कर सकती है एवं अपने चाहे तरीके से ऐसा कर सकती है”। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 84 | SHRAWAN KUMAR | LTN118321 | अन्यथीं द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है किन्तु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लेव टेक्नीशियन भर्ती 2020 की वरीयता सूची व इसमें एक अन्यथीं जैवा के दरतावेज संलग्न किये हैं जिसे एस का अनुभव प्राप्त हो जो एस के ही अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, विसरो ऐसा बनाम सरकार में याचिकाकर्ता की याचिका को द्वारा आधार पर खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार का अपने प्रतीत होता है कि अन्यथीं श्री प्रवाण कुमार के पास भी एस का ही अनुभव है और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जैवा का चयन कर लिये जाने के कारण श्री प्रवाण कुमार भी एस का अनुभव का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। | अन्य राज्य सरकारों व राज्यों में एन.ए.ए.म. या भारत सरकार के अधीन संरक्षणों में कार्यानुभव का बोनस अंकों परिवेदना खारिज | |

| | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|---|---|---|
| 97 | AMIT KUMAR | LTN115708 | कोविड काल के अनुभव के बोनस अंकों का लाभ देते हुए प्राविज्ञान रूची में नाम शामिल करने हेतु परिवेदना। | अम्यर्थी द्वारा लैब सहायक पद पर किये गये कार्य का अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। उक्त पर निर्णय हेतु प्रकरण नीति निर्धारण समिति की आगामी बैठक में रखा जाना उचित होगा। | नीति निर्धारण समिति के समझ रखा जाकर नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाए। |
| 98 | NARESH KUMAR SHARMA | LTN110992 | 117 अन्याधियों को लैब सहायक पद के अनुभव बोनस अंकों को लाभ दिये गये अधिक अन्याधियों को बाहर करते हुए अंतिम रूची में नाम शामिल करवाने वाला। | उपरा अम्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की जाकर अन्य अन्याधियों को दिये गये बोनस अंक के संबंध में कार्यवाही करता हेतु अनुशेष किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्रों की पुर्जांच का कार्य प्रक्रियालीन है। जिसके पूर्ण होने पर तदनुसार नियमों में कार्यवाही की जायेगी। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी अंतिम वरीयता रूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |
| 99 | ABHISHEK MITTAL | LTN114384 | अम्यर्थी द्वारा ऑनलाइन कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अम्यर्थी द्वारा लैब सहायक पद पर किये गये कार्य का अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। उक्त पर निर्णय हेतु प्रकरण नीति निर्धारण समिति की आगामी बैठक में रखा जाना उचित होगा। | नीति निर्धारण समिति के समझ-रखा जाकर नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाए। |
| 100 | VIRENDRA KUMAR SAINI | LTN100012 | अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अम्यर्थी द्वारा लैब सहायक पद पर किये गये कार्य का अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। उक्त पर निर्णय हेतु प्रकरण नीति निर्धारण समिति की आगामी बैठक में रखा जाना उचित होगा। | नीति निर्धारण समिति के समझ-रखा जाकर नीति निर्धारण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाए। |

| | | | | | |
|-----|---------------------|-----------|--|--|--|
| 115 | AJAY KUMAR | LTN116698 | अन्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत करते हुये दरतावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में समिलित किये जाने बाबत नियेदन किया है। | अन्यर्थी द्वारा Haryana State Board Of Technical Education, Panchkula से Diploma in Medical Laboratory Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 116 | SATISH KUMAR | LTN114549 | अन्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है। | अन्यर्थी द्वारा Haryana State Board Of Technical Education, Panchkula से Diploma in Medical Laboratory Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 117 | ANIL KUMAR MEENA | LTN111525 | अन्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, कुछ दरतावेज संलग्न किये हैं। | अन्यर्थी द्वारा एस्टा मुवनेश्वर से जारी अंकतालिकाओं एवं अस्थाइ रजिस्ट्रेशन का सत्यापन पत्र संलग्न किया है। जिसमें ४७०५ क्रमांक पर अन्यर्थी का नाम भी है। अन्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता होने के तालिकाओं के सत्यापन कारण रोका गया है। अतः निर्णय लिया जाना है कि संलग्न पत्र के आधार पर अन्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जावे अथवा नहीं। | बैंक पूर्व में अंक जिसमें ४७०५ क्रमांक पर अन्यर्थी का नाम भी है। अन्यर्थी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता होने के तालिकाओं के सत्यापन कारण रोका गया है। अतः निर्णय लिया जाना है कि संलग्न पत्र के आधार पर अन्यर्थी का परिणाम जारी कर दिया जावे अथवा नहीं। बैंक में अनुसार कार्यवाही की जा रही है अतः उस ही के अनुसार सम्बन्धित राज्य से सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावे। अथवा नीति निर्धारण समिति द्वारा से निर्णय कराया जायें। |
| 118 | RAHUL KUMAR MEENA | LTN110936 | अन्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत करते हुये दरतावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में समिलित किये जाने बाबत नियेदन किया है। | अन्यर्थी द्वारा All India Institute of Medical Sciences, Bhuvneshwar से B.Sc. (Hons.) in Medical Laboratory Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 119 | PUSHPA KUMARI MEENA | LTN107371 | अन्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत करते हुये दरतावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में समिलित किये जाने बाबत नियेदन किया है। | अन्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 120 | ANITA KUMAWAT | LTT107036 | अन्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण; से अवगत कराने बाबत नियेदन किया है। | अन्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 121 | RADHA GUPTA | LTN103307 | अन्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है। | अन्यर्थी द्वारा Utter Pradesh State Medical Faculty Lucknow से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 122 | SOORAJ DHAKAD | LTN113779 | अन्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत करते हुये दरतावेजों का पुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में समिलित किये जाने बाबत नियेदन किया है। | अन्यर्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University Jabalpur से Diploma in Medical Lab Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|--|---|--|
| 123 | DEVENDRA MEENA | LTN114479 | प्रार्थी के रोके गये परिणाम का कारण स्पष्ट कर रोके गये परिणाम को जारी करवाने देतु परिवेदन। | अम्बरी द्वारा All India Institute of Medical Sciences, Bhuvneshwar से B.Sc. (Hons.) in Medical Laboratory Technology कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्यादीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 124 | ANIL KUMAWAT | LTN112334 | अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के रोके गये परिणाम का कारण से अवगत कराये जाने वालत् निवेदन किया है। | अम्बरी द्वारा Miracle Paramedical College Mandsaur, MP से Diploma in Medical Laboratory Technician कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्यादीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 125 | Harsh Maru | LTN117392 | अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम चरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत करते हुये स्वयं के जाति प्रमाण पंत्र में पिताजी का नाम नरेश मारू के स्थान पर नरेश कुमार अंकित है को संशोधित करते हुये परिणाम जारी किये जाने देतु निवेदन किया है। | तकनीकी कारणों के फलस्वरूप अम्बरी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्यादीन रोका गया था। तत्पश्चात् अम्बरी के दस्तावेजों की जाधि/पुर्नसत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त, अम्बरी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से होने की पूष्टि की गई है। अतः अंतिम चयन सूची में परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 126 | KARAN KUMAR MEENA | LTN108826 | अध्यार्थी के दस्तावेजों का पुनःअवलोकन कर रोके गये परिणाम को जारी करवाने हेतु परिवेदन। | अम्बरी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अम्बरी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्यादीन रोका गया था किन्तु अम्बरी के दस्तावेजों की जाँच उपरान्त अम्बरी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अम्बरी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित पिताजी का नाम के परिप्रेक्ष में नियमानुसार अंतिम चयन सूची में परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 127 | hemchand yadav | LTN115098 | अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम चरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का चलाएक करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत करवाने वालत् निवेदन किया है। | अम्बरी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अम्बरी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्यादीन रोका गया था किन्तु अम्बरी के दस्तावेजों की जाँच उपरान्त अम्बरी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 128 | PRIYDARSHI HITENDRA DABAS | LTN113105 | अम्बरी के रोके गये परिणाम को जारी करवाने एवं दस्तावेजों को पाई गयी कोई गमी को पुरस्त करवाने हेतु परिवेदन। | अम्बरी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अम्बरी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्यादीन रोका गया था किन्तु अम्बरी के दस्तावेजों की जाँच उपरान्त अम्बरी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 129 | ARTIJATAV | LTN115592 | अम्बरी के एससी श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 46.285 है। एवं कटआँफ प्रतिशत 46.097 है। अतः कटआँफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने वालत्। | अम्बरी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अम्बरी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्यादीन रोका गया था किन्तु अम्बरी के दस्तावेजों की जाँच उपरान्त अम्बरी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 130 | VIJAYA SHARMA | LTN119569 | अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम चरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का चलाएक करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत करवाने वालत् निवेदन किया है। | अम्बरी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अम्बरी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्यादीन रोका गया था किन्तु अम्बरी के दस्तावेजों की जाँच उपरान्त अम्बरी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 131 | SHEETAL SHARMA | LTN113355 | अम्बरी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत, कराये जाने वालत् निवेदन किया है। | अम्बरी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अम्बरी का परिणाम अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता के अध्यादीन रोका गया था किन्तु अम्बरी के दस्तावेजों की जाँच उपरान्त अम्बरी की व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से है। अतः अंतिम चयन सूची में तदनुसार परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |

38 / ✓ 13 / ✓ 5 / ✓ 30 / ✓ 7 / ✓ 6

| | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|--|--|--|
| 132 | ANISH KUMAR SAINI | LTN107828 | अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है अम्बरी द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपरिथत होकर परीक्षण करवा लिया गया है पिर भी अम्बरी को अंतरिम चरियता सूची में समिलित नहीं किया गया है। अतः अंतरिम चरियता सूची में समिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है। | विभाग द्वारा इस भर्ती हेतु गठित मेडिकल बोर्ड की सभा के अनुसार अम्बरी की दिव्यांगता hearing defect 5.5% श्रेणी की है। जो कि नियमानुसार विशेष योग्यजन श्रेणी में इस भर्ती में आकर्षण हेतु पात्र नहीं है। अम्बरी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.276 बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अम्बरी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.841 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है। | परिवेदना खारिज |
| 133 | DEEPAK NAGADA | LTN114225 | अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दिव्यांग की जांच रिपोर्ट जागा कराने में दर्शी होने के कारण परिणाम रोका गया है। परिणाम जारी करने बाबत निवेदन किया गया है। | संयोजक व सहायाचार्य फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित पत्रांक 914 दिनांक 18.09.2023 के अनुसार यह अम्बरी आज चिनांक तक अपनी जांच रिपोर्ट लेकर उपरिथत नहीं हुये अतः चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर ही कार्यवाही संभव हो सकती है। | वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 134 | SHIVRAJ GURJAR | LTN111813 | अम्बरी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | संयोजक व सहायाचार्य फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित पत्रांक 914 दिनांक 18.09.2023 के अनुसार यह अम्बरी आज चिनांक तक अपनी जांच रिपोर्ट लेकर उपरिथत नहीं हुये अतः चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत अद्यतन सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर ही कार्यवाही संभव हो सकती है। | वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 135 | MOHD ARMAN QURESHI | LTN106235 | अम्बरी का चयन विशेष योग्यजन श्रेणी के ओबीसी-सीएल वर्ग में समिलित किये जाने हेतु। | अम्बरी ने स्वयं शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की श्रेणी ओबीसी क्रीमीलेयर किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः अम्बरी की श्रेणी ओबीसी क्रीमीलेयर करते हुए अंतिम चरियता सूची में यथास्थान चयन किया जाना प्रस्तावित है। अम्बरी ने विशेष योग्यजन श्रेणी में भी आवेदन किया है किन्तु सवाई मानसिंह चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अम्बरी विशेष योग्यजन श्रेणी हेतु आरक्षण का पात्र नहीं है। | प्रस्तावानुसार अनुगोदित |
| 136 | VISHNU KUMAR SAINI | LTN106874 | अम्बरी का विशेष योग्यजन वर्ग में शेके गये परिणाम को जारी कराने बाबत। | अम्बरी का चयन अंतरिम चरियता सूची में विशेष योग्यजन श्रेणी में किया जा चुका है किन्तु सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता के संबंध में स्पष्ट राय प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरी का परिणाम रोका गया है। अम्बरी की दिव्यांगता के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड से स्पष्ट राय उपरान्त कार्यवाही की जा सकती है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |

| | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|---|---|--|
| 137 | SHAMBHU KUMAR DANGEE | LTN108294 | आम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिग्लित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने वाले निवेदन किया है। | संयोजक व सहआचार्य फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित पत्रांक 914 दिनांक 18.09.2023 के अनुसार यह आम्यर्थी आज दिनांक तक उपरिथित नहीं हुये आज समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि उक्त आम्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाए अथवा उपरिथित होने हेतु एक अवसर प्रदान कर दिया जाए? साथ ही चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत अद्यतन सूचना प्राप्त किया जाना उचित रहेगा। | अनुपरिथित रहने वाले आम्यर्थीरों हेतु पूर्व में निर्णयदारिंग समिति द्वारा एक और अवसर नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया था चिकित्सा अधीक्षक एसएगएस चिकित्सालय से नवीनतम वस्तुरिथित पात्र की जाये। यदि आवेदक निर्धारित अवधि में बोर्ड के समस्त उपरिथित नहीं हुआ है तो आम्यर्थी की पात्रता निरस्त की जाये। |
| 138 | NITIN KUMAR PAREEK | LTN100450 | आम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | आम्यर्थी का घयन अन्तरिम वरियता सूची में विशेष योग्यजन श्रेणी में किया जा चुका है किन्तु सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित गेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता के संबंध में स्पष्ट राय प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यवाही आवश्यक आम्यर्थी का परिणाम रोका गया है। आम्यर्थी की दिव्यांगता के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में नहीं। गठित गेडिकल बोर्ड से स्पष्ट राय उपरान्त कार्यवाही की जा सकती है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | वर्तमान में कोई |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------|--|---|--|
| 139 | CHIRAG NAGDA | LTN103978 | अम्बरी द्वारा परियेदना प्रस्तुत कर रखये के रोके गये परिणाम का कारण संबंध में अवगत कराये जाने बाबत् निवेदन किया है। | संयोजक व सहअंगार्थ फोरेंसिक मेडिसिन विनाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित पत्रांक 900 दिनांक 16.09.2023 के अनुसार यह अम्बरी आज दिनांक तक अपनी जीव रिपोर्ट लेकर उपरिधत नहीं हुये अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि उक्त नीति निर्धारण समिति अम्बरी की पात्रता निरस्त कर दी जावे अथवा उपरिधत होने हेतु एक अक्षर प्रदान कर दिया जावे? साथ ही द्वारा एक और अवसर चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत् अद्यतन सूचना प्राप्त किया जाना उचित रहेगा। | अनुपस्थित रहने वाले अम्बरीयों हेतु पूर्व में नीति निर्धारण समिति द्वारा एक और अवसर नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया था चिकित्सा अधीक्षक एसएएस चिकित्सालय से नवीनतम वस्तुरिधिति पात्र की जाये। यदि आवेदक निर्धारित अवधि में बोर्ड के समस उपरिधत नहीं हुआ है तो अम्बरी की पात्रता निरस्त की जाये। |
| 140 | RAJNESH YADAV | LTN102180 | अम्बरी के जोधपुरी में विशेष योग्यता वर्ग में कुल प्रतिशत अंक 44.683 है। एवं गेरे से कम 36.660 वाले का घर्यन सूची में नाम है। अतः कट्टांफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अतिम सूची में नाम चुनौतयाने हेतु परियेदना। | अम्बरी द्वारा पूर्व में दस्तावेज सत्यापन हेतु परियेदना प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दिनांक 26.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन कराया गया है किन्तु अम्बरी की दिव्यांगता के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से किसी भी प्रकार की कोई सूचना संरक्षण को प्राप्त नहीं हुई है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है कि उक्त अम्बरी की पात्रता निरस्त कर दी जावे अथवा उपरिधत होने हेतु एक अक्षर प्रदान कर दिया जावे? साथ ही चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से भी इस बाबत् अद्यतन सूचना प्राप्त किया जाना उचित रहेगा। | अनुपस्थित रहने वाले अम्बरीयों हेतु पूर्व में नीति निर्धारण समिति द्वारा एक और अवसर नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया था चिकित्सा अधीक्षक एसएएस चिकित्सालय से नवीनतम वस्तुरिधिति पात्र की जाये। यदि आवेदक निर्धारित अवधि में बोर्ड के समस उपरिधत नहीं हुआ है तो अम्बरी की पात्रता निरस्त की जाये। |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|---|--|----------------------|
| 141 | HEMANT KUMAR BAIRWA | LTN120510 | परिवेदना संलग्न नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं रक्वास्थ्य अधिकारी संबाइ माधोपुर द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र क्रमांक 550 दिनांक 28.2.2023 संलग्न किया है। | अन्यथा द्वारा प्रस्तुत अनुमति प्रमाण पत्र लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 हेतु इस भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं परिवेदना खारिज होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा समान प्रकरण डी.बी. याचिका संख्या 351/2020 संतोष दौलती बनाम सरकार में निर्धारित पालित कर राज्य पद ये याचिका को खारिज कर दिया है। अन्यथा आवेदन की अंतिम दिनांक तक आर.पी.एम.सी. में रजिस्टर्ड नहीं था अतः इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होने से आवेदन खारिज किया गया। परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है। | परिवेदना खारिज |
| 142 | HEMANT GOYAL | LTN120171 | माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 2846/2023 की प्रति संलग्न कर आवेदन वरीयता सूची में नाम शामिल करने वालत्। | अन्यथा द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2846/2023 दायर की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.8.2023 के माध्यम से Infructuous घोषित हुए खारिज किया जा चुका है। अन्यथा आवेदन की अंतिम दिनांक तक आर.पी.एम.सी. में रजिस्टर्ड नहीं था अतः इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होने से आवेदन खारिज किया गया। परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है। | परिवेदना खारिज |
| 143 | DILKUSH MEENA | LTN112124 | कटआॉफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने वालत्। | अन्यथा द्वारा आवेदन के समय आर.पी.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है परिवेदना खारिज कि आवेदन के समय अन्यथा आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं था। अतः आवेदन के समय समस्त अर्हतारं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञाप्ति की शर्त के अनुसार अन्यथा इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैवा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने पर अन्यथा को पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है। | परिवेदना खारिज |
| 144 | AADITYA CHOUHAN | LTN112061 | एससी वर्ग में कटआॉफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने वालत्। | अन्यथा द्वारा आवेदन के समय आर.पी.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है परिवेदना खारिज कि आवेदन के समय अन्यथा आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं था। अतः आवेदन के साथ समस्त अर्हतारं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञाप्ति की शर्त के अनुसार अन्यथा इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैवा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने पर अन्यथा को पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है। | परिवेदना खारिज |
| 145 | RADHA MOHAN SHARMA | LTN120141 | सामान्य वर्ग में कटआॉफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने वालत्। | अन्यथा ने पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण किया है। अन्यथा का आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन के अभाव में अन्यथा इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 146 | PRIYANKA PARGI | LTT116091 | आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन रवीकार कर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने वालत्। | अन्यथार्थी आवेदन की अन्तिम तिथि को राजस्थान पैरामेडिकल कॉन्सिल में पंजीकृत नहीं थी। अन्यथिया का पंजीयन दिनांक 01.09.2023 को हुआ है। इस प्रकार इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण डी.बी. रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैवा में माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदन के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने पर अन्यथा को पात्र नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है। | परिवेदना खारिज |
| 147 | POOJA RATHORE | LTN102276 | एससी गहिला वर्ग में कटआॉफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने वालत्। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉन्सिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। | कोई कार्यवाही आवश्यक |
| 148 | VIVEK SHARMA | LTN117015 | प्रार्थी का आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जिसके रांदर में प्रार्थी ने न्यायालय में याचिका लगाई है, जो आमी भी विचाराधीन है। प्रार्थी ने अपनी 9 वर्ष की सेवाओं को देखते हुए समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की है। | प्रार्थी का रजिस्ट्रेशन आर.पी.एम.सी. में नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी नियमानुसार इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 149 | PRAKASH CHANDRA KUMAWAT | LTN118118 | दिनांक 01.09.23 को जारी आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन रवीकार कर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने वालत्। | अन्यथा नियमानुसार आवेदन की अंतिम तारीख तक आर.पी.एम.सी. में रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। | परिवेदना खारिज |

| | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--|--|
| 150 | DHURA RAM MEGHWAL | LTN119732 | गैने कोविड में अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है और संयिदा लौब ओक्सीशियन का 3 साल का अनुमति है। अतः प्रार्थी के अनुमति को मानकर सूची में समिलित करने वालत। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 151 | RAJU RAM YADAV | LTN104256 | ओवीरी नॉन क्रिप्टोलियर वर्ग में अंतरिम वरियता सूची में नाम समिलित करने वालत। | अन्यथी आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं है। अतः इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। परिवेदना खारिज |
| 152 | ASHOK VIRASH | LTN118354 | अस्थर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर एस.सी.रिविल रिट पिटिशन संख्या 13810/2023 में तहत द्वितीय अन्यथिया का कार्यवाही को लेप में स्वयं की आईडी को माननीय च्यायालय में विदाशधीन प्रकरणों के तहत रोके गये परिणाम में समिलित किये जाने वालत निवेदन किया है। | अस्थर्थी का राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल में पंजीकरण दिनांक 12.07.2023 को किया गया है जो कि आवेदन करने की अतिम तिथि के बाद का होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अस्थर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 153 | NIRMA BISHNOI | LTN116529 | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अन्यथिया का पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 154 | SACHIN JAIN | LTN118695 | ईडब्ल्युएस वर्ग में कटआॉफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने वालत। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अन्यथिया का पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 155 | ABHILASH SINGH HADA | LTN120021 | ईडब्ल्युएस वर्ग में कटआॉफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने वालत। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अन्यथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना खारिज |
| 156 | NITESH KUMAR PATIDAR | LTT114279 | अस्थर्थी का अंतिम सूची में नाम समिलित करने वालत। | अस्थर्थी का राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल में पंजीकरण दिनांक 21.08.2023 को किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अस्थर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 157 | PANKAJ PANDYA | LTI113816 | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अन्यथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 158 | ROHIT GEHLOT | LTN105102 | अस्थर्थी द्वारा ऑनलाइन कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं। | अस्थर्थी का राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल में पंजीकरण दिनांक 14.08.2023 को किया गया है जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अस्थर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 159 | VIRENDRA SINGH SINGHMAR | LTN113380 | अस्थर्थी के ओवीरी-एनसीएल श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 56.327 है। एवं कटआॉफ प्रतिशत 53.641 है। अतः कटआॉफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम समिलित करवाने वालत। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अन्यथिया का पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 160 | RITIK TEJSVI | LTN120128 | अस्थर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा मूलवास प्रविष्ट किये गये व्यावसायिक योग्यता के प्रथम वर्ग के प्राप्तांक 600 में से 362 के स्थान 400 में 362 संशोधित किये जाने वालत निवेदन किया है। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अन्यथिया का पात्रता निरस्त की गई है। इस प्रकार अस्थर्थी के प्राप्तांकों को संशोधित किये जाने की अवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है। |
| 161 | SHAHRUKH KHAN | LTN104406 | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अस्थर्थी द्वारा आवेदन के समय आर.पी.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि आवेदन के समय अस्थर्थी आर.पी.एम.सी. में पंजीकृत नहीं था। अतः आवेदन के समय समर्त आहताएं पूरी नहीं करने के कारण विज्ञाप्ति की शर्त के अनुसार अस्थर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। ऐसे ही सामान प्रकरण डी.टी.रिट याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जीवा में माननीय उच्च व्यावसाय ने आवेदन के समय निवारित योग्या पूरी नहीं की होने पर अस्थर्थी की पात्रता नहीं माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है। परिवेदना खारिज |
| 162 | ASHUTOSH SHARMA | LTN111251 | अस्थर्थी के ईडब्ल्युएस श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 56.71 है। एवं कटआॉफ प्रतिशत 50.17 है। अतः कोर्टिड काल में किये गये कार्य के बोनस अंकों का लाभ देते हुए प्रोविजनल सूची में नाम जुड़वाने हेतु परिवेदन। | राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल द्वारा अन्यथिया का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण अन्यथिया की पात्रता निरस्त की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना खारिज |

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------|--|--|
| 163 | ABDUL RAZZAK | LTN117237 | रोके गये परिणाम को जारी करवाने वाल्ट। | अन्यथा का परिणाम राजस्थान पैरामेडिकल कॉर्सिल से रजिस्ट्रेशन के अंतिम सत्यापन के अध्यधीन रोका गया था। राजस्थान पैरामेडिकल कॉर्सिल से प्राप्त सूचना अनुसार अन्यथा विनांक 20.08.2020 से पंजीकृत है। अंतिम प्राप्त सूचना अनुसार अन्यथा आवेदन के समय पंजीकृत है तो परिणाम जारी किया जाए। साथ ही आरपी.एम.सी. को प्रोवीडल सूची में चयनितों व यदि परिवेदना /माननीय न्यायालय के आदेशों से कोई घटन होता है तो उसकी सूची अद्यात्म करने हेतु हेतु गिजवाई जाये। |
| 164 | CHHVI SWAMI | LTN118287 | अन्यथा द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अन्यथा द्वारा परिवेदना के साथ आरपीएमसी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि दिनांक 28.06.2023 से है जिसकी पुष्टि आरपीएमसी से की जा चुकी है जिसके आधार पर अन्यथा को पात्र मानते हुए गिजवाई वरियता में समिलित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में रजिस्ट्रेशन दिनांक में त्रुटि हो जाने के कारण अन्यथा की पात्रता सहयन से निरस्त हो गई थी। परिवेदना स्वीकार्य है। |
| 165 | KOMAL PRAJAPAT | LTN114282 | अन्यथा का विवाह विच्छिन वर्ष में रोके गये परिणाम को जारी करवाने वाल्ट। | अन्यथा का परिणाम राजस्थान पैरामेडिकल कॉर्सिल से रजिस्ट्रेशन के अंतिम सत्यापन के अध्यधीन रोका गया था। राजस्थान पैरामेडिकल कॉर्सिल से प्राप्त सूचना अनुसार अन्यथा रजिस्ट्रेशन कांगांक 6444 दिनांक 23.8.2022 से पंजीकृत है अतः इसके उपरान्त के अनुग्रह का लाग देय है। प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 166 | AARATI | LTN103228 | अन्यथा द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत करते हुये दस्तावेजों का मुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में समिलित किये जाने वाल्ट निवेदन किया है। | अन्यथियों को अंतरिम वरियता सूची में समिलित किया जाकर राजस्थान पैरा मेडिकल कॉर्सिल से सत्यापन के अध्यधीन परिणाम रोका गया था। अब आरपीएमसी द्वारा अन्यथिया के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके आधार पर अन्यथिया का परिणाम अंतिम वरियता सूची में जारी कर दिया जाना प्रस्तावित परिणाम जारी किया जावे। |
| 167 | MUKESH KUMAR SHARMA | LTN117813 | अन्यथा द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना से अवगत करते हुये दस्तावेजों का मुनरावलोकन कर अंतिम वरियता सूची में समिलित किये जाने वाल्ट निवेदन किया है। | अन्यथा को अंतरिम वरियता सूची में समिलित किया जाकर उनका परिणाम आरपीएमसी से रजिस्ट्रेशन के सत्यापन के अध्यधीन रोका गया था चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अन्यथा के रजिस्ट्रेशन होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः अन्यथा का परिणाम प्रकाशित कर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 168 | NIRMALA KUMAWAT | LTN113109 | अन्यथा द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने वाल्ट निवेदन किया है। | अन्यथिया को अंतरिम वरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु आरपीएमसी से रजिस्ट्रेशन की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अन्यथिया का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अन्यथिया का रजिस्ट्रेशन होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके आधार पर अन्यथिया का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 169 | AKSHAY KUMAR | LTN114365 | अन्यथा ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराये जाने वाल्ट निवेदन किया है। | उत्समय राजस्थान पैरा मेडिकल कॉर्सिल से अन्यथा के पंजीकरण के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अन्यथा को अंतरिम वरियता सूची में समिलित कर परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अन्यथा का पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावानुसार अनुमोदित |

| | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|---|--|------------------------|
| 170 | HONEY MANE | LTN117608 | अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को अंतरिम चरियता सूची में समिलित करते हुये परिणाम रोके जाने की सूचना का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने वालत निवेदन किया है। | अम्बरीया को अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु आरपीएमसी से रजिस्ट्रेशन की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरीया का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अम्बरीया का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 171 | VINOD NINAMA | LTT103840 | अम्बरी के टीएसपी एसटी श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 41.31 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 36.41 है। अतः अंतिम चरियता सूची में नाम समिलित करवाने वालत। | अम्बरी के अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु अम्बरी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अम्बरी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अम्बरी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 172 | MANJU GUPTA | LTN105386 | अम्बरी द्वारा अन्तरिम चरियता सूची में स्वयं का परिणाम रोके जाने के कारण दस्तावेज संलग्न कर कोई दस्तावेज भी कभी होने पर अवगत कराये जाने वालत निवेदन किया है। | अम्बरी के अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु अम्बरी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अम्बरी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अम्बरी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 173 | MANISHA GURJAR | LTN103994 | परिणाम रोके जाने का कारण स्पष्ट किये जाने व जाति तथा श्रेणी एग्वीसी-एनरीएल को मान्य/स्वीकार कर प्राप्तांकों व श्रेणी के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु परिवेदन। | अम्बरी को अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु अम्बरी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अम्बरी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अम्बरी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 174 | VINOD NINAMA | LTT103840 | अम्बरी के टीएसपी एसटी श्रेणी में कुल प्रतिशत अंक 41.31 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 36.41 है। अतः अंतिम चरियता सूची में नाम समिलित करवाने वालत। | अम्बरी को अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु अम्बरी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अम्बरी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अम्बरी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 175 | UMA SEN | LTN104732 | प्रार्थी द्वारा सभी दस्तावेज मुनः अपलॉड कर दस्तावेजों की जांच कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु परिवेदना दी है। | अम्बरी को अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु अम्बरी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अम्बरी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अम्बरी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 176 | NEELAM CHOURHARY | LTN105813 | अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के रोके गये परिणाम का कारण से अवगत कराये जाने वालत निवेदन किया है। | अम्बरी को अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु अम्बरी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अम्बरी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अम्बरी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 177 | PRAMOD KUMAR MEENA | LTN114293 | अम्बरी के नॉन टीएसपी क्षेत्र के एसटी वर्ग में कुल प्रतिशत अंक 45.759 है। एवं कटऑफ प्रतिशत 36.680 है। अतः कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी सूची में नाम नहीं होने पर अंतिम सूची में नाम छुड़वाने हेतु परिवेदना। | अम्बरी द्वारा परिवेदना के साथ आरपीएमसी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि दिनांक 16.06.2023 से है जिसकी पुष्टि आरपीएमसी से की जा चुकी है जिसके आधार पर अम्बरी को पात्र मानते हुये यथास्थान चरियता में समिलित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में रजिस्ट्रेशन दिनांक में नुट्रि हो जाने के कारण अम्बरी की पात्रता सहजन से निरस्त हो गई थी। | परिवेदना स्वीकार्य है। |
| 178 | GARIMA RAJPAL | LTN113895 | रोके गये परिणाम का कारण बताते हुए निस्तारित करवाने हेतु परिवेदन। | अम्बरी को अन्तरिम चरियता सूची में समिलित किया जा चुका है किन्तु अम्बरी के पंजीकरण के संबंध आरपीएमसी से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अम्बरी का परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा अम्बरी के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अम्बरी का परिणाम जारी कर दिया जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 179 | SADDAM HUSAIN KANIYA | LTN116195 | मेरे द्वारा लगाया गया Sports Certificate Inter-University West Zone /All India University Tournament का है। खेल प्रमाण-पत्र की सही से जांच कर प्रोविजनल लिरट में शामिल करने वालत। | अम्बरी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर का जारी किया गया है। कार्मिक विनाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार न तो आयोजक एसोसिएशन और इंडियन यूनीवरिटी है, न ही अम्बरी कोई पदक विजेता है, अतः अम्बरी उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग हेतु पात्र नहीं है। | परिवेदना खारिज |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------|---|--|----------------------|
| 180 | HEMANT KUMAR SAINI | LTN117092 | खेल प्रमाण—पत्र की सही से जांच कर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करने वाला। | अम्बरी द्वारा आवेदन के समय दो खेल प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिनमें से एक प्रमाण पत्र चौथी राज्य यूथ फरल गेम्स प्रतियोगिता का है एवं दूसरा चौथी नेशनल यूथ रुरल गेम्स जो इंडियन ऑलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था द्वारा जारी नहीं है। विवरित की शर्त के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी हेतु पात्र नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 181 | MOHAMMED ISLAAM | LTN118482 | उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में शामिल कर अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने वाला। | याचिकाकर्ता द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी 'कोटा' के तहत आवेदन ही नहीं किया। अतः अम्बरी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ दिया जान संभव प्रतीत नहीं होता है। | परिवेदना खारिज |
| 182 | SUNIL KUMAR | LTN101399 | अम्बरी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अम्बरी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है किन्तु अम्बरी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है और आइस हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिये होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के लिये या तो इंडियन ऑलम्पिक एसोसिएशन या इंडियन पैरालम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित अथवा उपरोक्त दोनों में से किसी एक से सम्बद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित किंसी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया होना चाहिये। इंडियन ऑलम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त सूचना अनुसार आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः प्रत्युत खेलप्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 183 | PRADEEP SINGH RATHORE | LTN101620 | उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ देते हुये अंतरिम प्रोविजनल सूची में नाम शामिल करने हेतु परिवेदना। | अम्बरी ने राष्ट्रीय खेल कूद समारोह 2010-11 व 2011-12 में भाग लिया जिसका आयोजन विद्या भारती अखिल ग्राहकीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली द्वारा किया गया। नियमानुसार राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रवय किया गया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आशक्षण का लाभ देय होगा। | परिवेदना खारिज |
| 184 | RAJBALA KUMARI | LTN120074 | अम्बरी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अम्बरी ने स्वयं के दस्तावेज सत्त्वापन कार्यक्रम की सूची, जिसमें अम्बरी के ओवीसी वर्ग में 42.950 प्रतिशत कोई कार्यवाही आवश्यक प्राप्तांक है तथा अन्तरिम चयन सूची के दो पृष्ठ जिसमें ओवीसी उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में तीन अम्बरी चयनित हैं, नहीं। जीसमें अम्बरी की सूची अपलोड की है। उक्त तीनों अम्बरीयों के प्रतिशत प्राप्तांक अम्बरी राजवाला से कम है। किन्तु उक्त तीनों अम्बरीयों का चयन ओवीसी वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में किया गया है। अम्बरी राजवाला द्वारा एथ्लेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो आईओए से संबद्ध (एफिलियेटेड) फेडरेशन नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक |
| 185 | CHANDU | LTN105793 | अम्बरीया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उसके द्वारा ओवीसी एनसीएल स्पोर्ट्स वर्ग में आवेदन किया गया है तथा 15वा भेन्स एवं 13वा यूगन रेटेड अस्या पर्याय चैम्पियनशिप 2017 में उनकी टीम द्वारा प्रथम रैंक प्राप्त किया गया है तथा 31वा भेन्स एवं 27वीं यूगन्स नेशनल अंतरिम पत्त्या चैम्पियनशिप 2017 में भाग लिया गया है जिसके मध्यनजर अम्बरी द्वारा रवय को ओवीसी एनसीएल स्पोर्ट्स केटेंगरी में अंतरिम वरीयता सूची में समिलित किये जाने वाला निवेदन किया है। | अम्बरीया द्वारा ओवीसी एनसीएल स्पोर्ट्स केटेंगरी से आवेदन किया गया था जिसमें अम्बरी द्वारा Atya Patya Federation of India से जारी स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अम्बरी के द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्यक्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इंडीयन ऑलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध (Affiliated) फेडरेशन का नहीं होने के कारण भाव्य नहीं है। अतः अम्बरी को स्पोर्ट्स श्रेणी में आशक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। | परिवेदना खारिज |
| 186 | ADITYA SIKHWAL | LTN106118 | अम्बरी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल खेल के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न किया है। | अम्बरी ने राष्ट्रीय खेल कूद समारोह 2016-2017 में भाग लिया जिसका आयोजन विद्या भारती अखिल ग्राहकीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली द्वारा किया गया। नियमानुसार राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया रवय किया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आशक्षण का लाभ देय होगा। इस प्रकार अम्बरी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का आशक्षण का लाभ देय नहीं है। | परिवेदना खारिज |

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------|---|--|----------------------------|
| 187 | HARSHITA GOYAL | LTN105881 | अम्बरी को खेल प्रमाण-पत्र की सही से जांच कर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करने वाले। | अम्बरी द्वारा ऑफिनल आवेदन के समय एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान दो प्रमाण पत्र Ball Badminton Federation of India से जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इण्डियन ऑलरिंग एसोसिएशन से सम्बद्ध (Affiliated) फेडरेशन का नहीं होने के कारण मान्य नहीं है एवं अन्य प्रमाण पत्र जो Rajasthan State Ball Badminton Association द्वारा जारी किया गया है, प्रस्तुत किया है जो नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आरक्षण के लाभ हेतु मान्य नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 188 | ANIL CHANDAWAT | LTN106817 | अम्बरी का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में कर खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन इंडियन ऑलरिंग एसोसिएशन की यैवसाईट से करवाने हेतु परिवेदन। | अम्बरी द्वारा उत्कृष्ट 'खिलाड़ी' वर्ग में आवेदन कर नेशनल राईफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो इण्डियन ऑलरिंग एसोसिएशन से सम्बद्ध (Affiliated) संस्था द्वारा जारी नहीं है। विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार पांच सालकार की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी हेतु पात्र नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 189 | KANWAR PAL SINGH | LTN113874 | अम्बरी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की परिवेदना के साथ संलग्न खेल प्रमाण पत्र को सत्यापित कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में समिलित किये जाने वाले निवेदन किया है। | अम्बरी ने School Sports Education Association Of India द्वारा 2023 का जारी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार 'राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' स्वयं किया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय होगा। इस प्रकार अम्बरी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का आरक्षण का लाभ देय नहीं है। | परिवेदना खारिज |
| 190 | MADAN LAL | LTN102470 | अम्बरी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल खेल के संबंध में प्रगाण पत्र संलग्न किया है। | अन्तर्रिम वरिचता सूची में अम्बरी का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी में खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है। खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 191 | DEEPAK CHAUDHARY | LTN105674 | प्रार्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है और एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज खेल प्रगाण पत्र की ऑफिनल आवेदन सत्यापन कर प्रावधानानुसार नियुक्ति देने हेतु परिवेदना दी है। | अम्बरी द्वारा एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा जारी खेलकूद प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये स्वयं को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में चयन किये जाने हेतु निवेदन किया है जो कि प्रथम दृष्टया कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष-2019 में जारी अधिसूचना के परिपेक्ष में उपलिखित प्रतीत होती है। अतः अम्बरी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में समिलित करते हुये चयन की स्थिति में खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन परिणाम त्रोप्ता जाना प्रस्तावित है। | प्रतावानुसार अनुमोदित |
| 192 | PRIYANKA JANGIR | LTN103980 | अम्बरीया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रोकेशन एजुकेशन दिल्ली द्वारा इन्टर स्कूल स्पोर्ट्स एण्ड गेम्स कम्पीटीशन 2012-13 जारी खेल प्रमाण पत्र की पुनः जांच कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में चयन किये जाने वाले निवेदन किया है। | अम्बरी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रोकेशन, दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। नियमानुसार स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वयं किया गया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय होगा। | परिवेदना खारिज |
| 193 | LEKHRAJ LOCCHIB | LTN107662 | खेल प्रमाण-पत्र जोड़ कर दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम जुड़वाने वाले। | अम्बरी ने 29वीं जिला स्तरीय नायूमिक/उच्च मायूमिक विद्यालयी छात्र खेलकूद प्रतियोगिता सत्र 2011-12 मात्रा लिया। नियमानुसार स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वयं किया गया हो एवं इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक विजेता हो तो ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय होगा। | परिवेदना खारिज |

| | | | | |
|-----|-----------------|-----------|---|--|
| 194 | ANURAG NEHRA | LTN104071 | <p>परिवेदना संलग्न नहीं है। केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुग्रह परिषद्वेशन दिलाक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583</p> | <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुग्रह अवधि होने पर इस अवधि का बोनस प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> |
| 195 | HIMANSHU SHARMA | LTN100586 | <p>1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुग्रह आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वाले निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN117481, LTN114870, LTN118548, LTN115379, LTN117660, LTN117638</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुग्रह प्रगाण पत्रों को पुनः जाँचकर बोनस अंक देने वाले निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377 का अनुग्रह लैब सहायक के पैंद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN109671 के संबंध में राजस्थान पेरा मेडिकल कॉसिल में पंचीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रगाण पत्र को फर्जी/कूटरचित बताया गया है।</p> | <p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह प्रदान नहीं करने का नाम प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुग्रह अवधि होने पर इस अवधि का बोनस प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुग्रह का पुर्णसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देव होगा।</p> <p>3. अभ्यर्थी का अनुग्रह लैब सहायक पैद का है गाननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेच्च बरसाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संगमादित कार्य के आधार पर अनुग्रह के लागे का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार वेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1985 के नियम 18 की सूची से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अभ्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पैद के अनुग्रह को गान्य किया जाने वाले निर्धारण समिति के समझ स्वयं जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थीं जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वयंविक है।</p> <p>5. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रगाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है।</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------|--|---|
| 196 | RAMESH KUMAR RAIGAR | LTN112946 | 1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जिनलिखित अम्यर्थीयों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुग्रह आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वाला निवेदन किया है— LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752 | माननीय राजस्थान चच्चे न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निषेध दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमति का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थीयों की पंजीकरण से गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |
| 197 | LAKSHITA BORANA | LTN116134 | 1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जिनलिखित अम्यर्थीयों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुग्रह आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वाला निवेदन किया है— LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752 | माननीय राजस्थान चच्चे न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निषेध दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमति का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थीयों की पंजीकरण से गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |
| 198 | RAHUL CHAND SHARMA | LTN116938 | अम्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल जिनलिखित अम्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुग्रह रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है— LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 | माननीय राजस्थान चच्चे न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निषेध दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमति का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थीयों की पंजीकरण से गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---|---|---|
| 199 | VINEET KUMAR | LTN101044 | <p>1. अम्बर्धी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्बर्धीयों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुमत आरपीएमसी में उल्लेखन से पूर्व का बताते हुये अनुमत का शून्य करने वाले निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुमत प्रमाण पत्रों को पुनः जोंचकर बोनस अंक देने वाले निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुमत लैब साहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा गेडिकल कौरिल में पंजीकरण नहीं होने की स्थूलता रो आवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कटूरचित बताया गया है।</p> | <p>1. माननीय राजस्थान चुच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट प्रिवेशन संख्या 15214/2023 माधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय हारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत प्रकरण में विचार किया जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गया। अम्बर्धी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः परिवेदना निस्तोरण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>2. अम्बर्धी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुमत का पुनर्सत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अम्बर्धी का अनुमत लैब साहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब साहायक व लैब टैक्सीशियर का कार्य एक सामान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 राजेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा सम्पादित कार्य के आधार पर अनुमत के लाभ का नियारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती की नियम 19 की सूची से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अम्बर्धी को विड काल में लैब साहायक पद के अनुमत को मान्य किया जाने वाले प्रत्यावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्बर्धी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जोंच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वयाविक है।</p> <p>5. अम्बर्धी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना ऐवं अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रग्राम पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इमिडेन ओलिम्पिक एसोसिएशन से कराया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p> | <p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः परिवेदना निस्तोरण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |
| 200 | Neha sankhla | LTN100535 | <p>अम्बर्धी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्बर्धीयों के संबंध में चयन में न्युट्रिट के संबंध में अवगत कराया है:-</p> <p>1. LTN118106, LTN109980, LTN108780, LTN109863 दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में चल्लेख किया है।</p> <p>2. LTN112824, LTN108259 को दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में समिलित किया गया है।</p> <p>3.</p> | <p>1. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्बर्धी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जोंच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वयाविक है।</p> <p>2. आईडी संख्या LTN112824, LTN108259 को दिनांक 31.08.2023 को प्रातः 11:30 के 01:30 के मध्य क्रमशः क्रम संख्या 2875 एवं 2677 पर आमंत्रित किया गया है।</p> | <p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्बर्धी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः परिवेदना निस्तोरण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |

| | | | | |
|-----|-------------|-----------|---|---|
| 201 | AMIT SONI | LTN100167 | <p>1. अन्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुग्रह आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वालत निवेदन किया है—</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p> | <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से गया। अन्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कार्ड व्यवितरण परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निरस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कार्ड कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |
| 202 | ANISH SARVA | LTN112121 | <p>1. अन्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुग्रह आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वालत निवेदन किया है—</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुग्रह प्रमाण पत्रों को पुनः जोड़कर बोर्ड अंक देने वालत निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुग्रह लैब राहायक के पद पर वराग्य गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिग चरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैशेडिकल कॉर्सिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कटूरचित बताया गया है।</p> | <p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह का लाग प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से गया। अन्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कार्ड व्यवितरण परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निरस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कार्ड कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>2. अन्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुग्रह का पुरुषसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोर्ड देय होगा।</p> <p>3. अन्यर्थी का अनुग्रह लैब राहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023-हेम सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब राहायक व लैब टैक्नीशियन का कार्ड एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 ऐरेन्ट बरसात में निर्देश दिये हैं कि पदानंग की अपेक्षा संभावित कार्य के आधार पर अनुग्रह गई है। इनके निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बैनिवाल बनाम सरकार में गर्भी नियम 1965 के नियम 10 की संतुष्टि से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अन्यर्थी को विषेष काल में लैब राहायक पद के अनुग्रह को मान्य किया जाने वालत निर्णयार्थी नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अन्यर्थी द्वारा भरे गये छाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिग चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जोड़ उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिग चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वामित्विक है।</p> <p>5. अन्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कार्ड कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है।</p> |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------|--|---|
| 203 | POOJA YADAV | LTN120332 | <p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुमत आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वाला निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p> | <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 गांधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत अवधि का लाग प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुग्रह अवधि होने पर इस अवधि का लाग प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> |
| 204 | NAVAL KISHOR JOULIYA | LTN101036 | <p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुमत आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वाला निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p> | <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 मांगव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत अवधि का लाग प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुग्रह अवधि होने पर इस अवधि का लाग प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> |
| 205 | SURYA PRATAP SINGH | LTN114337 | <p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुमत आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वाला निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p> | <p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 गांधव सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत को लाग प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अभ्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुमत अवधि होने पर इस अवधि का लाग प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------|---|---|--|
| 206 | RAHUL PRAJAPAT | LTN109730 | <p>1. अम्बर्धी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अध्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुमत आरपीएमरी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का चतारे हुये अनुमत का शून्य करने वाले निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुमत प्रमाण पत्रों को पुनः जोचकर बोनस अंक देने वाले निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुमत लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिग वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कटूरचित बताया गया है।</p> | <p>1. गाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह-बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में गाननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत आधारियों की पंजीकरण से गया। अम्बर्धी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः परिवेदना निरस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>2. अम्बर्धी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुमत का पुर्सित्यापन कराया जाने वाले निवारण समिति के आधार पर अनुमत प्रदान नहीं करना चाहिए तथा रिट याचिका संख्या 14007/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अम्बर्धी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुमत को भान्य किया जाने वाले निर्णयार्थ नीति निवारण समिति के समक्ष रख जाना प्रस्तावित है।</p> <p>3. दरतावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्बर्धी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जोच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वभाविक है।</p> <p>4. अम्बर्धी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमरी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>5. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संविधित फैडरेशन/इनिडेज ओलिपिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p> | |
| 207 | KULDEEP SINGH PARIHAR | LTN105907 | <p>1. अम्बर्धी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अध्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुमत आरपीएमरी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का चतारे हुये अनुमत का शून्य करने वाले निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN117481, LTN114870, LTN115379, LTN117660</p> | <p>1. गाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.वी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह-बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में गाननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत की अनुमत आधारियों की पंजीकरण से गया। अम्बर्धी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः परिवेदना निरस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> | |

| | | | |
|-----|-------------------|-----------|---|
| 208 | AKSHAT TRIVEDI | LTN109048 | <p>1. अम्बरी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अन्यथियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएमसी में चिकित्सन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने वाला निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115279, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जोचकर बोनस अंक देने वाले निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुभव लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियटा सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैशेफिकल कौसिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचांग से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रयाण पत्र को फर्जी/कूटरचित बताया गया है।</p> <p>1. गाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्य परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्बरी द्वारा जारी की गई अतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गया। अतः परिवेदना निरस्तात्मक समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्रवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>2. अम्बरी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुर्वसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अम्बरी का अनुभव लैब सहायक पद का है, गाननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेतु सिंह बोनान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व. लैब टैक्सीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1689/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा सम्पादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनियाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अम्बरी का कोई काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने वाले निर्धारण समिति के समग्र रूप से जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अम्बरी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जोच उपरान्त की गई है। इन प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आगा स्वाविक है।</p> <p>5. अम्बरी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना ऐवगत, क्रायाया गया है। अतः कोई कार्रवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रयाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इमिडयन ओलिम्पिक एसोसिएशन से कराया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p> |
|-----|-------------------|-----------|---|

| | | | | |
|-----|-----------------------|-----------|---|---|
| 209 | RAVINDRA KUMAR JANGIR | LTN115186 | <p>1. अन्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आव्याधियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुग्रह आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शृंख करने वाले नियोग किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN117481, LTN114870, LTN118548, LTN115379, LTN116660, LTN115496, LTN1165531</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुग्रह प्रमाण पत्रों को मुक्त जांचकर बोनस अंक देने वाले नियोग किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377 का अनुमति लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कौसिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटरचित बताया गया है।</p> | <p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, चोथपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट्रिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यव परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया रिंग बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमति प्रकरण में विचार किया हुया है, के अंत में परिवेदना में अंकित आव्याधियों की पंजीकरण से गया। अन्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरियता सूची के संबंध में कोई व्यवितरण परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निर्स्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>2. अन्यर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुग्रह का पुर्वसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अन्यर्थी का अनुग्रह लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट्रिटिका संख्या 14007/2023 हेतु सिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्नीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट्रिटिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संम्पादित कार्य के आधार पर अनुग्रह के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट्रिटिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेरिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 19 की सूची से मालिना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अन्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुग्रह को मात्र किया जाने वाले निर्धारण नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अन्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जांच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आगा स्थानांकित है।</p> <p>5. अन्यर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन रांचियत फोड़रेशन/इण्डियन ओलंपिक एथोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकती है।</p> |
|-----|-----------------------|-----------|---|---|

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------|--|---|--|
| 210 | AMAN PRAKASH | LTN108608 | <p>1. अमर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत करने निम्नलिखित अध्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुमत आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शूल्य करने वालते नियेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुमत प्रमाण पत्रों को पुनः जांचकर बोनस अंक देने वालते नियेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुग्रह लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉंसिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/चूटरित घोषया गया है।</p> | <p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट फिटिंग्स संख्या 15214/2023 माध्यम से विवाद में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह विवाद में परिवेदना में अंकित अध्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुग्रह गई करने पर हस्त अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अमर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुमत का पुर्णसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निष्ठारूप बोनस देय होगा।</p> <p>3. अध्यर्थी का अनुमत लैब सहायक व लैब टैक्सीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नेत्रेन बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संभावित कार्य के आधार पर अनुग्रह के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बैनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1985 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अध्यर्थी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुग्रह को मान्य किया जाने वालते निर्णयार्थी नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अमर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वामिक है।</p> <p>5. अमर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संविधि फेडरेशन/इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जो सकेगी।</p> | <p>परिवेदना रागिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अमर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निरसारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |
| 211 | DEVENDRA SAHU | LTN111475 | <p>1. अमर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत करने निम्नलिखित अध्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुमत आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शूल्य करने वालते नियेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p> | <p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.वी.सिविल रिट फिटिंग्स संख्या 15214/2023 माध्यम से विवाद में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह विवाद में परिवेदना में अंकित अध्यर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुग्रह गई करने पर हस्त अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> | |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------|--|---|--|
| 212 | VASEEM PARVEZ | LTN108919 | <p>आमर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईच्छापूर्स कोटेगरी में 130 सीटों के विलद्द 123 अमर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है शेष रिक्त सीटों पर नियुक्ति जारी करने के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवेदना प्रस्तुत की है-</p> <ol style="list-style-type: none"> आईडी संख्या LTN118377 श्री अजय कुमार शर्मा को लैब साइंस के पद का अनुग्रह प्राप्त होने के बावजूद भी बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया गया है जो अनुचित है। आईडी संख्या LTN117930 किशन पाणशर रजिस्ट्रेशन दिनांक 03.02.2022 को हुआ है फिर भी कोई अवधि न कार्य करने के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आईडी संख्या LTN119968, LTN109755 के रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.06.2023 है फिर भी अमर्थियों को 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये गये हैं जो कि नियम विरुद्ध है। आईडी संख्या LTN114777 कृष्ण कुमार शर्मा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 06.06.2022 है उसके 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये गये हैं जो कि नियम विरुद्ध है। आईडी संख्या LTN114959 भूपेश शर्मा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.04.2022 है को 10 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये गये हैं जो कि नियम विरुद्ध है। | <p>लैब टैक्नीशियन भर्ती 2023 में ईडब्ल्यूएस कोटेगरी में 130 अमर्थियों का ही ध्येय किया गया है जिनमें से 122 अमर्थियों के परिणाम जारी कर 08 अमर्थियों के परिणाम अच्छा सत्य से व्यापारायिक योग्यता प्राप्त होने व्यायालय में विवाराधीन प्रकरण, विव्यांगता के सत्यापन आदि कारणों से रोके गये हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> अमर्थी द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा के रंगबंद में दिये गये तथ्य मिथ्या है। अमर्थी को अधीक्षक, एसएमएस विकित्सालय, याधपुर द्वारा लैब टैक्नीशियन के पद पर ही अनुग्रह प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा कोविड अवधि दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022, तक नियाचित की गई थी। यदि किसी अमर्थी द्वारा उक्त अवधि में एक दिवस भी कार्य किया गया है तो नियाचानुसार ऐसे अमर्थियों को 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावकाश है। माननीय राज्यराजन उच्च न्यायालय, याधपुर में दायर एस.बी.रिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 नाम्य सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुग्रह का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अकित अमर्थियों की पंजीकरण से पूर्व की अनुग्रह अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रत्याचित है। श्री कृष्ण कुमार शर्मा का आर्कीएमरी में इंजेंगिनियरिंग विनांक 08.07.2021 को किया गया है इस प्रकार अमर्थी द्वारा परिवेदना में प्रस्तुत तथ्य पूर्णपूर्ण से गिराया है। जिस पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। श्री भूपेश शर्मा के अनुभव अवधि उनके रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.04.2022 के बाद भी 01 वर्ष से अधिक हो जाता है जिसके आधार पर अमर्थी को 10 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया गया है। अंतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | <p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अमर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर्गी है। अंतः परिवेदना परिवारण समिति द्वारा निराकारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |
|-----|---------------|-----------|--|---|--|

8 x → y₈ ~ is your @ 6

| | | | | |
|-----|--------------------|-----------|--|---|
| 213 | ANKIT KUMAR SHARMA | LTN107410 | <p>1. अन्यथी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आवधियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शून्य करने वाले निवेदन किया है—</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638, LTN115496, LTN116553, LTN117909</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रगाण पत्रों को मूँः जॉचकर बोनस अंक देने वाले निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377, LTN116989 का अनुभव लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN107239, LTN110971, LTN113821, LTN117510, LTN114521, LTN109671, LTN113210, LTN113833, LTN120031, LTN113076 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉर्सिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रगाण पत्र को फर्जी/कूटरचित बताया गया है।</p> | <p>1. गाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर प्रस्तावी सिविल रिट प्रिवेन संख्या 15214/2023 गावधि परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अन्यथी द्वारा जारी की गई अविन वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निरस्तापन समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>2. अन्यथी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुर्णसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोनस देय होगा।</p> <p>3. अन्यथी का अनुभव लैब सहायक पद का है गाननीय न्यायालय ने रिट यादिका संख्या 14007 / 2023 हेम सिर्ज चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्सीशियर का कार्य एक समान है, एवं रिट यादिका संख्या 1669 / 2022 नरेन बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संस्पर्धित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट यादिका संख्या 14080 / 2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में गर्ती नियम 19 की सख्ती से प्रालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अन्यथी का कोविड काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने वाला निर्णयार्थी नीति निर्धारण समिति के समझ स्थानांतर प्रस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना आरपीएसी द्वारा भरे गये जाट के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के जॉच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वाभाविक है।</p> <p>5. अन्यथी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रगाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फोरेशन/इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन से करवाया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p> |
|-----|--------------------|-----------|--|---|

| | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|---|
| 214 | MOHAN LAL | LTN109429 | <p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुग्रह आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वाला निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752, LTN117638</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुग्रह प्रमाण पत्रों को मुनः जॉचकर बोनस ऑफ देने वाले निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377 का अनुग्रह लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020, LTN118306, LTN117493 के दस्तावेज सत्यापन एवं अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN118322, LTN114575, LTN115974, LTN120031, LTN109671 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉर्सिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रगाण पत्र को फर्जी/कूटरभित बताया गया है।</p> | <p>1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट फिटिशन संख्या 16214 /2023 माध्व परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निरसारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |
| 215 | MOHAN LAL | LTN113001 | <p>1. अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अम्यर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुग्रह आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुग्रह का शून्य करने वाला निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752</p> | <p>गाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.वी.सिविल रिट फिटिशन संख्या 16214 /2023 माध्व परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निरसारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------|---|--|
| 216 | DEENDAYAL CHANDOLIYA | LTN108052 | आमर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी, क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 | माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यव परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया रिहं बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में गाननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव दो गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अंत परिवेदना निरतारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |
| 217 | NARENDRA SAINI | LTN110447 | 1. अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित अभ्यर्थी की आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इनका अनुभव आरपीएससी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बतारे हुये अनुभव का शून्य करने वाले निवेदन किया है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583, LTN117481, LTN114870, LTN114465, LTN119177, LTN112254, LTN118548, LTN115379, LTN117493, LTN118382, LTN117082, LTN117638, LTN114452, LTN117660, LTN116962, LTN118106, LTN116457, LTN117752 | माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यव परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया रिहं बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में गाननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव दो गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अंत परिवेदना निरतारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |
| 218 | JAGJEET SINGH | LTN107562 | आमर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अभ्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 | माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यव परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया रिहं बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में गाननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव दो गया। अभ्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अंत परिवेदना निरतारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|---|--|--|
| 219 | GAURAV SHARMA | LTN117229 | <p>1. अर्थर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर गिनलिखित अर्थर्थियों की आईडी क्रमांक अंकित करते हुए इनका अनुभव आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व का बताते हुये अनुभव का शूद्ध करने वाले निवेदन किया है:-</p> <p>LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN117481, LTN114870, LTN118548, LTN115379, LTN117660, LTN117638</p> <p>2. आईडी संख्या LTN117778, LTN117930 के अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः जोचकर बोगस अंक देने वाले निवेदन किया है।</p> <p>3. आईडी संख्या LTN118377 का अनुभव लैब सहायक के पद पर बताया गया है।</p> <p>4. आईडी संख्या LTN116269, LTN115020 के दस्तावेज़ सत्यापन एवं अन्तरिम चरियत सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों के अन्तर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>5. आईडी संख्या LTN109671 के संबंध में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉस्मिल में पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>6. आईडी संख्या LTN114723 के खेल प्रमाण पत्र को फर्जी/कूटरचित बताया गया है।</p> | <p>1. गाननीय साजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव प्रकरण में विचार किया गया। अर्थर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यवितरण नहीं की परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निरसारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>2. अर्थर्थी द्वारा उल्लेखित आईडी क्रमांक LTN117778, LTN117930 के अनुभव का पुर्णसत्यापन कराया जाने के उपरान्त निर्धारित बोगस देव द्वारा।</p> <p>3. अर्थर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है गाननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14007/2023 हेतु सिंह चोहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्सीशियन का कार्य एक सामान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा संमादित कार्य के आधार पर अनुभव के लाभ का निर्धारण किया जाये तथा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार वेनिवाल बनाम सरकार में मर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सूची से पालना के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर अर्थर्थी का कोवियत काल में लैब सहायक पद के अनुभव को मान्य किया जाने वाले निर्णयार्थी नीति निर्धारण समिति के रागत रखा जाना निरस्तावित है।</p> <p>4. दस्तावेज़ सत्यापन हेतु जारी सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अर्थर्थी द्वारा भरे गये छाता के आधार पर की गई थी जबकि अन्तरिम चयन सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दस्तावेजों के पाँच उपरान्त की गई है। इस प्रकार दस्तावेज़ सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत एवं अन्तरिम चयन सूची में अंकित कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अन्तर आना स्वाभाविक है।</p> <p>5. अर्थर्थी द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>6. खेल प्रमाण पत्रों को सत्यापन संबंधित फेडरेशन/इंडियन ओलिंपिक एथोरिशन से कराया जा रहा है सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।</p> | |
| 220. | SANJAY | LTN102119 | <p>अर्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल परिवेदना के राथ अन्तरिम चयन सूची एवं विज्ञप्ति की प्रति एवं निगनलिखित 04 अर्थर्थियों के आरपीएमसी में पंजीकरण नहीं होने की शिकायत प्रस्तुत की है:-</p> <p>LTN117060, LTN118663, LTN118458, LTN105081</p> | <p>परिवेदना में उल्लेखित आईडी संख्या LTN117060, LTN118458, LTN105081 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है किंतु उक्त तीनों अर्थर्थियों के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन नीती प्रक्रिया में समिलित कर परिणाम रोके गये हैं शेष आईडी संख्या LTN118663 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा रजिस्ट्रेशन होने की सूचना से अवगत कराया गया है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> | <p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अर्थर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यवितरण परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निरसारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------|--|---|---|
| 221 | PRIYANKA GAUR | LTN116175 | अम्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न विन्दुओं को संक्षान में लेने बाबत निवेदन किया है :- 1. कुछ अम्यर्थी जिनका अनुभव प्रगाण पत्र दिनांक 31.05.2023 के बाबत का है जो कि विज्ञापन के नियमानुसार अगाच है। 2. कुछ अम्यर्थी जिनका अनुग्रह 01 साल, 02 साल एवं 03 का पूर्ण गही हो रहा है। उनको भी बोनस अंक दिये गये हैं। 3. कुछ अम्यर्थीयों के लैब सहायक का अनुभव होने के बाबजूद उसको बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। जो विविधता के नियम विरुद्ध है। 4. निम्नलिखित अम्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है— LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 | 1. सभी भर्तियों हेतु अनुभव हेतु अनुभव की गणना आवेदन पत्र भरने की विनांक से एक दिवस पूर्व तक की जावेगी। 2. अम्यर्थी द्वारा विन्दु संख्या 02 में किसी व्यक्तिविशेष के संबंध में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की है। तथापि अनुभव प्रगाण पत्रों की जाँच का कार्य प्रक्रियालीन है जोने के परिणाम के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। 3. अम्यर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या हेम रिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्सीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा सम्मानित कार्य के आधार पर अनुभव के परिवेदना प्रस्तुत नहीं की जावेगी। 4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थीयों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है। | परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत लाभ का कहा है। अतः परिवेदना निर्स्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |
| 222 | JAGDISH PURI | LTN112155 | रजिस्ट्रेशन के बाबत के लैब सहायक पद के अनुभव के बोनस अंकों को हटाकर अंतरिग सूची की खालियों में सुधार हेतु परिवेदना। | 1. सभी भर्तियों हेतु अनुभव हेतु अनुभव की गणना आवेदन पत्र भरने की विनांक से एक दिवस पूर्व तक की जावेगी। 2. अम्यर्थी द्वारा विन्दु संख्या 02 में किसी व्यक्तिविशेष के संबंध में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की है। तथापि अनुभव प्रगाण पत्रों की जाँच का कार्य प्रक्रियालीन है जोने के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। 3. अम्यर्थी का अनुभव लैब सहायक पद का है माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या हेम रिंह चौहान बनाम सरकार में कहा है कि लैब सहायक व लैब टैक्सीशियन का कार्य एक समान है, एवं रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र बरवाल में निर्देश दिये हैं कि पदनाम की अपेक्षा सम्मानित कार्य के आधार पर अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थीयों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है। 4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में परिवेदना में अंकित अम्यर्थीयों की पंजीकरण से पूर्व की अनुभव अवधि होने पर इस अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना प्रस्तावित है। | परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत लाभ का कहा है। अतः परिवेदना निर्स्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|--|---|--|
| 223 | SUMAN JATWA | LTN106607 | आम्बरी द्वारा कोई ऑनलाइन परियेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित आम्बरी के आइडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 | माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट्रिटेशन संख्या 15214/2023 माध्यव परियेदना समिति द्वारा सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव प्रकरण में विचार किया गया। अम्बरी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परियेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परियेदना निरसारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | |
| 224 | VINI KOCHAR | LTN112183 | रजिस्ट्रेशन के बाद के लौंग सहायक घद के अनुभव के बोनस अंकों को हटाकर अंतरिम सूची की खामियों में सुधार हेतु परियेदना। | आम्बरी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परियेदना प्रस्तुत नहीं की है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | परियेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्बरी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परियेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परियेदना निरसारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |
| 225 | LAVISHA LALWANI | LTN112571 | आम्बरी द्वारा कोई ऑनलाइन परियेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित आम्बरी के आइडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुभव रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 | माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट्रिटेशन संख्या 15214/2023 माध्यव परियेदना समिति द्वारा सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुभव प्रकरण में विचार किया गया। अम्बरी द्वारा जारी की गई अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परियेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परियेदना निरसारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | |

| | | | |
|-----|------------------|-----------|--|
| 226 | PANKAJ ASOPA | LTN104266 | <p>अम्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न बिन्दुओं को संज्ञान में लेने वालत् निवेदन किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> कुछ अर्थर्थी जिनका अनुग्रह प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2023 के बाद का है जो कि विज्ञापन के नियमानुसार अमान्य है। कुछ अर्थर्थी जिनका अनुग्रह 01 साल, 02 साल एवं 03 का पूर्ण नहीं हो रहा है। उनको भी बोनस अंक दिले हैं। कुछ अर्थर्थियों के लैब सहायक का अनुग्रह होने के बायजूद उसको बोनस अंक प्रदान किये देर हैं। जो कि विज्ञापन के नियम विरुद्ध है। निम्नलिखित अम्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुग्रह रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583 |
| 227 | DIVYANSHU TANWAR | LTN112571 | <p>अम्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाईन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अम्यर्थी के आईडी क्रमांक अंकित करते हुये अनुग्रह रजिस्ट्रेशन दिनांक के पहले का बताया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- LTN119968, LTN109755, LTN116139, LTN110006, LTN112583</p> |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------|---|---|
| 228 | ANIL KUMAR KEENA | LTN113426 | अम्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल निम्नलिखित अग्न्यर्थी को माननीय राजस्थान चच्चे न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.डी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15214/2023 माध्यम परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया। अम्यर्थी द्वारा जारी की गई अतिम वरीयता सूची के संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। | |
| 229 | KHURSHID AHMED | LTN118317 | अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है। | अम्यर्थी ने केवल कुछ दरतावेज संलग्न किये हैं जिससे यह रपट नहीं हो रहा है कि अम्यर्थी की प्रार्थना क्या है। अम्यर्थी का चयन 20 थोनस अंकों के साथ 63.532 अंकों के साथ ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत हुआ है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 230 | DHARAMVEER SINGH SINGHADIYA | LTN107047 | अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है। | अम्यर्थी ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका एवं आरपीएमसी में पंजीयन की प्रति आपोड़ की है। अम्यर्थी अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 231 | MAHAVEER PRASAD LAKSHKAR | LTN110959 | अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है। | अम्यर्थी ने ऑनलाइन परिवेदना के साथ सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका प्रस्तुत की है। अम्यर्थी अन्तरिम चयन सूची में अनारकित वर्ग में चयनित है। कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 232 | ANKIT SHARMA | LTN119782 | नवीनतम ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र स्थीकार करने वाला। | अम्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया गया एवं 20.01.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया। अम्यर्थी द्वारा आवेदन के समय दिया गया प्राप्ति वर्ष 2022–23 हेतु व नवीनतम प्रमाण वर्ष 2022–23 हेतु मात्र है। अम्यर्थी पूर्ण से ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी में है। अतः अब कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 233 | PRAMOD KUMAR BIJARNIA | LTN117645 | अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दरतावेज संलग्न है। | अम्यर्थी 63.671 प्रतिशत अंकों के साथ सामान्य श्रेणी में चयनित है। अतः परिवेदना प्रस्तुत करने का कारण रपट नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 234 | RINKU PATEL | LTN104104 | अम्यर्थी द्वारा नोन-टीएसपी से टीएसपी में फार्म बदलने हेतु परिवेदन। | अम्यर्थी द्वारा, उसके स्वयं के आवेदन पत्र को नोन-टीएसपी से टीएसपी में फार्म बदलने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है। टीएसपी व नोन-टीएसपी दोनों हेतु पृथक-पृथक विज्ञाप्ति जारी की गई थी। यदि अम्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र से संबंध रखता था, तो उसे तस्माय अनुसूचित दोनों हेतु जारी विज्ञाप्ति के सन्दर्भ में आवेदन भरा जाना था, जो उनके द्वारा नहीं भरा गया है। अतः अब कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है। परिवेदना खारिज |
| 235 | YOGENDRA SINGH CHAHAR | LTN104372 | अम्यर्थी द्वारा कोई ऑनलाइन परिवेदना संलग्न नहीं की है, केवल आवेदन पत्र संलग्न किया है। | अम्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 236 | Wahidudddeen Khan | LTN104249 | अम्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर जिन अग्न्यर्थियों के परिणाम से गये हैं उनके नाम दर्शाने, सभी वर्ग के दिक्षित पदों का विवरण दर्शाने, एवं आवेदन पत्र का विवरण जानने के लिये ओटीपी की अनिवार्यता को समाप्त कर गर्ती में पारदर्शिता लाने हेतु परिवेदन। | अम्यर्थी द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। सम्पूर्ण गर्ती नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जा रही है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं। |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|---|--|----------------------------|
| 237 | YUKTA SHRIMALI | LTN106248 | परिवेदन के बाद के लैब सहायक पद के अनुभव के बोग्स अंको को हटाकर एवं निजी चिकित्सालयों के अनुभव को अगान्य, अन्य राज्य से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अस्थर्थियों की योग्यता की जांच एवं अन्य राज्य से अनुभव प्राप्त अस्थर्थियों को अनुभव का लाभ प्रदान नहीं करने आदि का उल्लेख किया है। | अस्थर्थी द्वारा रख्ये के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 238 | RAJENDRA KUMAR BANSIWAL | LTN116793 | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अस्थर्थी का पूर्व में एस.सी. श्रेणी में ध्ययन किया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 239 | PRIYANKA RANKAWAT | LTN114596 | विवाह द्वारा गलत बोनस अंक एवं गलत अनुभव की गणना से आयोग्य उभीदवारों का ध्ययन हो जाने के संबंध में अपनी परिवेदना प्रस्तुत की गई है जो निम्नानुसार है:- 1. रजिस्ट्रेशन के बाद भी 1,2,3 वर्ष पूर्व नहीं होने पर भी 10,20,30 बोनस अंक दिये गये। 2. लैबोरटी सहायक /निजी अस्पतालों का अनुभव मान्य नहीं करे आदि। उपर अस्थर्थियों को बाहर योग्य अस्थर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया गया है। | अस्थर्थिया द्वारा रख्ये के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं है। कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 240 | HEMRAJ SHARMA | LTN108263 | अस्थर्थी द्वारा ऑनलाइन कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। | अस्थर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण एवं ऑनलाइन आपेदन में संलग्न प्रमाण पत्र समान हैं तथा अस्थर्थी को पूर्व से ईडब्ल्यूएस वर्ग में गानकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 241 | AMARJEET VERMA | LTN103438 | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना, संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अस्थर्थी द्वारा रख्ये के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 242 | BUDDHI PRAKASH PRAJAPAT | LTN114423 | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अस्थर्थी का ध्ययन अंतरिम यारियता सूची में किया जा चुका है। अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 243 | Mohit Rakheja | LTN112355 | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल रख्ये का आपेदन पत्र संलग्न किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 244 | VARSHA MEENA | LTN116404 | अस्थर्थी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अन्तरिम वरियता सूची में अस्थर्थिया का ध्ययन व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिकाओं को सत्यापन के अध्याधीन किया गया था। अस्थर्थिया के व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिकाओं का सत्यापन ऑनलाइन किया जा चुका है। अतः रिपोर्ट छठाया जाना प्रस्तावित है। | प्रस्तावानुसार अनुमोदित |
| 245 | Dimple Soni | LTN115971 | प्रार्थी ओवीरी-एनसीएल वर्ग से संबंधित है। जबकि फोर्म में गलती से एस.सी. हो गई है को संशोधित करने वायत्। | अस्थर्थिया द्वारा ऑनलाइन आपेदन टीएसपी फ्रेम से किया गया है जबकि अस्थर्थी राजस्थान राज्य का गेर परिवेदना खारिज | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|--|---|----------------------------|
| 246 | Sharwan Bhadani | LTN118165 | <p>1—विना किसी बड़े कारण के दिसम्बर 2022 की पद 1044 की भर्ती को निरस्त कर दिया इसका परिणाम यह हुआ 2022 के चंजिस्टर्ड आरपीएमसी के अधिकारीयों को ज्ञाये 2023 के आगे आरपीएमसी पासआउट से भी पिछड़े हुए रहे गये तथा 2023 तक अनुभव के फर्जी मनमाले तरीके अधिकारीयों की संख्या बढ़ती गई और उच्चशिक्षित पिछड़ गये।</p> <p>2— धीरू की भर्ती नियमों में किसी प्रकार भी 15 प्रतिशत बोनस अनुभव का नियमों का प्रकाशन किया गया था भर्ती 2022 तथा 2023 में अनुभव नियमों के विरुद्ध एक माह दो माह 6 माह के आवेदक को भी 15 प्रतिशत बोनस अनुभव देकर आरपीएमस पासआउट बोर्डरसी एगएलटी डिप्रीएसी के साथ स्टार्ट आवश्यक किया दै।</p> <p>3— केन्द्र सरकार रेलवे, आईसीएगआर, एम्स अन्य स्थानों में भर्ती नियमों में बीएससी एमएलटी के पासआउट लैब टेक्नोशियन को दो साल अनुभव योग्य मानते हैं तथा इन्टरशिप 6 माह को भी अनुभव की श्रेणी में शामिल करते हैं जबकि आरपीएमसी के डिलोमा की इन्टरशिप नहीं होती है। मेरी इस व्यायिक परिवेदना को पूर्णतः गानव संवेदना लेते हुए न्याय कर हमारे गानविक आवासद को कम करने की कपा करें।</p> | <p>1—वित्त विभाग द्वारा विज्ञापित खर्चों की संख्या में वृद्धि के कारण वर्ष 2022 की विज्ञापित को निरस्त किया गया था।</p> <p>2— अनुभव आधारित बोनस अंक नियमानुसार निए गए हैं माननीय व्यावसाय द्वारा भी रिंग खादिका रा. 7868/2023 राहुल सिंह चौहान में इसे गान्य किया है।</p> <p>3— लैब टेक्नोशियन पद देते नियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार विज्ञापित जारी की जाकर इस भर्ती में अधिक कार्यवाही की गई है।</p> | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |
| 247 | PRADEEP KUMAR SHARMA | LTN112608 | <p>परिवेदना संलग्न नहीं है। रास्ती संलग्न है जिसमें एक सूची में अधिकारी को ₹2,001 प्राप्तांकों के साथ व दूसरी सूची में 51,912 अंकों के साथ ₹2,000 प्राप्तांक वर्ग में चयनित दराया है।</p> | <p>दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अधिकारीयों की सूची उनके द्वारा बैंचलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी।</p> <p>जिसका दस्तावेज सत्यापन, संपर्कान्त सभी नातियों हेतु सभी अधिकारीयों हेतु समाना रूप से निम्नानुसार गणना की गई है— अधिकारी के रीनियर रौकण्डरी परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत वेटेज देंकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो योग्यता सूची तैयार की जाती है। अधिकारी के सीनियर रौकण्डरी की परीक्षा में 78,200 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावसायिक योग्यता के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत है जिनको जोड़कर अधिकारी को औसत प्राप्तांक प्रतिशत 74,160 बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अधिकारी के कुल प्राप्तांक 51,912 प्रतिशत बनते हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।</p> | कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। |

| | | | | |
|-----|------------------------|-----------|--|---|
| 248 | PRASHANT TEJ | LTN103939 | दस्तावेज सत्यापन व अंतरिम वरियता सूची की प्रतिशत में अंतर गे चुधार करने वाले। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंतित अम्बर्धियों की सूची उनके द्वारा आँनलाइन आवेदन में भरे डाटा के अनुसार थी कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। अम्बर्धी के सीनियर रीकार्डरी परीका को प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावरायिक योग्यता के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उनके औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत घेटेज देकर एवं इनमें कोई बोनस अंक है तो वरियता सूची दैवार की जाती है। अम्बर्धी के सीनियर सीकार्डरी की परीका में 65.600 प्रतिशत प्राप्तांक एवं व्यावरायिक प्रीक्षा को कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 68.260 है जिनको जोड़कर अम्बर्धी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.940 बनते हैं एवं औसत प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत घेटेज के आधार पर अम्बर्धी के कुल प्राप्तांक 46.858 प्रतिशत बनते हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 249 | AJAY KUMAR PRAJAPAT | LTN116978 | अम्बर्धी द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है, दस्तावेज संलग्न है। | अम्बर्धी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है किन्तु अम्बर्धी ने कोविड के दौरान कार्यरत होने का प्रमाण रखांगा किया है। अम्बर्धी का रजिस्ट्रेशन माड जून 2023 में हुआ है अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वायर एस.बी.सिविल रिट प्रिटिशन संख्या 15214/2023 मार्गव रिहंड बनाम सरकार में परित निर्णय दिनांक 21.11.2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पंजीकरण से पूर्व के अनुमत का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्देश प्रदान किया है, के क्रम में रजिस्ट्रेशन से पूर्व की अवधि का बोनस देय नहीं होने से गेरिट में शून्य बोनस देते हुए यथास्थान रखा गया है। कोई अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 250 | AJAY BHARDWAJ | LTN105651 | अम्बर्धी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि एक सूची संलग्न की है जिसमें कुछ अम्बर्धियों के अन्तरिम एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत का छूलना का विवरण है। | दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंतित अम्बर्धियों को कुल प्राप्तांकों की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। अम्बर्धी की गणना अन्तरिम वरियता सूची में कुल प्राप्तांकों की गणना दस्तावेज में अंकित प्राप्तांकों अनुसार की गई है। इस प्रकार उनके कुल प्राप्तांक प्रतिशतों में अन्तर होना व्यावधिक है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |
| 251 | TRILOK CHAND NAGAR | LTN117127 | अम्बर्धी ने परिवेदना प्रस्तुत कर रखे की अनुमत अवधि की पुनः गणना कर बोनस अंकों को संशोधित किये जाने का निवेदन किया है। | अम्बर्धी का चंयन अंतरिम वरियतों सूची में किया जा चुका है। जिसमें अम्बर्धी को 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया गया है। अम्बर्धी की अनुमत अवधि का प्रार्थनात्मक अनुग्रह जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जिसमें अम्बर्धी के 15 बोनस अंक ही सत्यापित किये गये हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। |

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिएव स्वा. (ग्रुप-3) विभाग

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

राजस्थान सचिव
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं रसायन रोगाये,
राजस्थान जयपुर

३८२३५५२१
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

राजस्थान सचिव
निदेशक,
राजस्थान एवं परिवार कल्याण संस्थान

रजिस्ट्रार,
राजस्थान पैसा भैंकल
कॉरिल

चप विधि परमेशी, मुख्यालय
चि. एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय

चप विधि परमेशी, मुख्यालय

